Australian Government

myagedcare

Hindi | हिन्दी

एज्ड केयर होम में प्रवेश के लिए चरण

नवंबर 2025

कॉमनवेल्थ कोर्ट ऑफ ऑर्म्स के अलावा और जहां अन्यथा उल्लेख किया गया है, इस दस्तावेज़ में प्रस्तुत सभी सामग्री क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन 4.0 इंटरनेशनल **(CreativeCommons.org/Licenses/By/4.0/)** लाइसेंस के तहत प्रदान की गई है।

प्रासंगिक लाइसेंस शर्तों का विवरण क्रिएटिव कॉमन्स वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे दिए गए लिंक का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है, साथ ही CC BY 4.0 इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए पूर्ण कानूनी कोड भी उपलब्ध है। **(CreativeCommons.org/Licenses/By/4.0/LegalCode).**

इस दस्तावेज़ का श्रेय Department of Health, Disability and Ageing (स्वास्थ्य, विकलांगता और वृद्धावस्था विभाग) को दिया जाना होगा।

एज्ड केयर होम में प्रवेश के लिए चरण

हमसे संपर्क करें

लाइसेंस और इस दस्तावेज़ के किसी भी उपयोग के संबंध में पूछताछ **Communication.AgedCare@health.gov.au** पर ई-मेल करके की जा सकती है।

आप इस उत्पाद को **MyAgedCare.gov.au** पर पा सकते हैं।

यह पुस्तिका आपको, आपके परिवार या आपके मित्रों को आपकी देखभाल के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करने के लिए तैयार की गई है। इसमें बहुत सारी उपयोगी जानकारी शामिल है, लेकिन निर्णय लेने में सहायता के लिए आपको अधिक शोध करने की आवश्यकता हो सकती है।

जानकारी नवंबर 2025 से वर्तमान है।

क्या यह पुस्तिका आपके लिए उपयुक्त है?

यह पुस्तिका बताती है कि वृद्ध लोग एज्ड केयर होम में किस प्रकार देखभाल प्राप्त कर सकते हैं, एज्ड केयर होम में जाने की प्रक्रिया क्या है तथा वहां होने पर क्या अपेक्षा रखनी चाहिए।

यदि किसी आवासीय एज्ड केयर होम में देखभाल के लिए वृद्ध देखभाल आकलनकर्ता द्वारा आपका आकलन किया गया है तो आपको यह पुस्तिका अवश्य पढ़नी चाहिए।

आप नीचे सूचीबद्ध अन्य प्रकार की वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) सहायता के बारे में पुस्तिकाएं भी **MyAgedCare.gov.au/Resources** पर प्राप्त कर सकते हैं।

क्या यह पुस्तिका आपके लिए उपयुक्त है?

यह पुस्तिका

Residential aged care (आवासीय वृद्ध देखभाल)

यदि आप स्वतंत्र रूप से अपने घर में रहने में असमर्थ हैं तो वृद्ध देखभाल गृहों (एज्ड केयर होम) में व्यक्तिगत और नर्सिंग देखभाल। इसमें वृद्ध देखभाल गृह (एज्ड केयर होम) में कम अवधि के लिए आवासीय राहत भी शामिल है।

और अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर जाएं: **MyAgedCare.gov.au/Aged-Care-Homes**।

घर पर प्रारंभिक स्तर की देखभाल

राष्ट्रमंडल गृह सहायता कार्यक्रम (कामनवेल्थ होम सपोर्ट प्रोग्राम) (CHSP) के माध्यम से निरंतर या अल्पकालिक देखभाल और सहायता सेवाएं। आप घरेलू काम, व्यक्तिगत देखभाल, भोजन और आहार तैयार करने, परिवहन, खरीदारी, फिजियोथेरेपी जैसे अलाइड हेल्थ (संबद्ध स्वास्थ्य) और सोशल स्पोर्ट (सामाजिक सहायता) में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने देखभालकर्ता को अवकाश देने के लिए योजनाबद्ध राहत के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

CHSP 1 जुलाई 2027 से पहले सपोर्ट ऐट होम कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेगा। CHSP निम्न-स्तरीय सहायता आवश्यकताओं वाले वर्तमान और नए ग्राहकों के लिए जारी रहेगा।

घर पर निरंतर देखभाल

Support at Home (सपोर्ट ऐट होम) कार्यक्रम वृद्ध लोगों को स्वस्थ, सक्रिय और अपने समुदाय से सामाजिक रूप से जुड़े रहने में मदद करने के लिए देखभाल और सहायता सेवाओं, उपकरणों और घरेलू संशोधन-कार्यों तक पहुंच प्रदान करता है।

Support at Home (सपोर्ट ऐट होम) उन लोगों के लिए उच्चतर स्तर की देखभाल प्रदान करता है जिनकी आवश्यकताएँ जटिल होती हैं तथा जिन्हें घर पर रहने के लिए और अधिक सहायता की आवश्यकता होती है।

रेस्टोरेटिव केयर पाथवे

रेस्टोरेटिव केयर पाथवे, Support at Home (सपोर्ट ऐट होम) कार्यक्रम के भाग के तौर पर एक अल्पकालिक संबद्ध स्वास्थ्य (अलाएड हेल्थ)/नर्सिंग केन्द्रित पाथवे है। रेस्टोरेटिव केयर आपको अधिक लंबे समय तक स्वतंत्र रहने में मदद कर सकती है और आपको उन गतिविधियों को करने में सहायता कर सकती है जिन्हें करने में आपको आनंद आता है।

End-of-Life Pathway (एन्ड-ऑफ़-लाइफ पाथवे) (जीवन के अंत से जुड़ा मार्गपथ)

एन्ड-ऑफ़-लाइफ पाथवे उन वृद्ध लोगों को सहायता प्रदान करता है जिनके लिए यह निदान किया गया है उनके पास जीने के लिए 3 महीने या उससे कम समय बचा है और वे घर पर ही रहना चाहते हैं। इसका उद्देश्य राज्य या टेरिटरी-आधारित palliative care (प्रशामक देखभाल) योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध सेवाओं के पूरक के रूप में अतिरिक्त in-home (घर पर) वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) प्रदान करना है। यह पाथवे सपोर्ट ऐट होम (Support at Home) कार्यक्रम का एक भाग है।

विषय-वस्तु

वृद्ध देखभाल गृह (एज्ड केयर होम) में देखभाल	4
My Aged Care से संपर्क करें	7
एज्ड केयर असेसमेंट करवाएं	9
आवासीय राहत देखभाल (रेसपाईट केयर) - एज्ड केयर होम में अल्पकालीन प्रवास	12
एज्ड केयर होम का मार्ग	13
1. लागत का पता लगाएं	14
2. एज्ड केयर होम खोजें	23
3. एज्ड केयर होम में आवेदन करें और प्रस्ताव स्वीकार करें	26
4. अपने एज्ड केयर होम के साथ अनुबंध करें	27
5. अपनी देखभाल और सेवाओं का प्रबंधन करें	32
अधिक सहायता	35
चेकलिस्ट - लागत का पता लगाएं और एज्ड केयर होम खोजें	42
चेकलिस्ट - अनुबंध में शामिल हों	45
चेकलिस्ट - स्थानांतरण की तैयारी करें	46

ऑस्ट्रेलिया की वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) प्रणाली में सुधार करना

पिछले कुछ वर्षों में, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने Royal Commission into Aged Care Quality and Safety (वृद्ध देखभाल गुणवत्ता और सुरक्षा पर रॉयल आयोग) के जवाब में वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) में बड़े बदलाव किए हैं। इन व्यापक सुधारों से सकारात्मक परिवर्तन आया है, जिससे ऑस्ट्रेलिया में वृद्ध लोगों को प्रदान की जाने वाली देखभाल की पारदर्शिता बढ़ी है और इसकी गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल और सहायता सुलभ होनी चाहिए, चाहे आप घर पर रहना चाहें या फिर वृद्ध देखभाल गृह (एज्ड केयर होम) में जाना चाहें।

वृद्ध देखभाल अधिनियम (एज्ड केयर एक्ट) 2024 एज्ड केयर का उपयोग करने वाले वृद्ध लोगों के लिए और अधिक सुधारों को आगे बढ़ा रहा है। इसमें वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) क्षेत्र को अधिक मजबूत बनाना, वृद्ध लोगों को उनकी वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) में अधिक विश्वास, नियंत्रण और आत्मविश्वास दिलाना सुनिश्चित करने के लिए नियमन शामिल हैं।

वृद्ध देखभाल गृह (एज्ड केयर होम) में देखभाल

एज्ड केयर होम उन वृद्ध लोगों के लिए एक स्थान है जो अब घर पर स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं और जिन्हें रोजमर्रा के कार्यों या स्वास्थ्य देखभाल के लिए निरंतर सहायता की आवश्यकता होती है।

एज्ड केयर होम में रहने या ठहरने का मतलब यह सुनिश्चित करना है कि आपको आवश्यक देखभाल मिले।

एज्ड केयर होम आपकी निम्नलिखित में सहायता कर सकते हैं:

- दैनिक कार्य जैसे सफ़ाई, खाना पकाना और कपड़े धोना
- व्यक्तिगत देखभाल जैसे नहाना, कपड़े पहनना, सजना-संवरना और शौचालय जाना
- पंजीकृत नर्स की देखरेख में चिकित्सीय देखभाल, जैसे घाव की देखभाल और दवाई देना
- सामाजिक गतिविधियाँ आपको अपने मित्रों और समुदाय से जुड़े रहने में मदद करती हैं
- अन्य देखभाल सेवाएँ.

एज्ड केयर होम के माध्यम से आवासीय एज्ड केयर स्थायी रूप से या कुछ समय के लिए प्रदान की जा सकती है। एज्ड केयर होम में अल्पकालिक देखभाल को आवासीय राहत देखभाल (रेसपाईट केयर) कहा जाता है।

आवासीय राहत देखभाल पर अधिक जानकारी इस पुस्तिका के पृष्ठ 12 पर पाई जा सकती है।

एज्ड केयर होम का स्वामित्व और संचालन ऐसे लोगों या संगठनों द्वारा किया जाता है जो आपकी देखभाल के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ पंजीकृत हैं। एज्ड केयर प्रदाताओं को एज्ड केयर गुणवत्ता मानकों को पूरा करना होगा तथा एज्ड केयर कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाना ज़रूरी है तथा उनकी वर्तमान कर्मचारी स्क्रीनिंग जाँच हुई होनी चाहिए।

आपकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ, एज्ड केयर प्रदाताओं को आपकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं में भी सहयोग करना आवश्यक है। एज्ड केयर कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण (सुपरवीज़न) प्रदान किया जाना ज़रूरी है ताकि वे अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभा सकें।

निजी रूप से वित्तपोषित आवास विकल्प, जैसे कि रिटायरमेंट विलेज या स्वतंत्र रहने वाले यूनिट, आत्मनिर्भर वृद्ध लोगों के लिए कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। इनका विनियमन राज्य एवं क्षेत्रीय सरकारों द्वारा किया जाता है तथा इन्हें संचालन के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती।

इन निजी रूप से वित्त पोषित सेवाओं को ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा वित्त पोषित एज्ड केयर सेवाएं जैसे कि सपोर्ट ऐट होम प्रदान करने के लिए भी अनुमोदित किया जा सकता है। यदि आप पात्र हैं, तो आप उनसे या किसी अन्य अनुमोदित प्रदाता से वृद्ध देखभाल सेवाएं प्राप्त करने का चयन कर सकते हैं।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार राष्ट्रीय एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर फ्लेक्सिबल एज्ड केयर (NATSIFAC) कार्यक्रम के माध्यम से वृद्ध एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित वृद्ध देखभाल को भी वित्तपोषित करती है। NATSIFAC सेवाएं घर, समुदाय और वृद्ध देखभाल गृहों में एज्ड केयर सेवाओं का मिश्रण प्रदान करती हैं, ताकि वृद्ध एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों को घर और कंट्री के करीब रहने में सहायता हो सके।

पात्रता

ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा वित्तपोषित एज्ड केयर सेवाओं में प्रवेश केवल उन लोगों तक सीमित है जिन्हें देखभाल की आवश्यकता है, जो या तो:

- 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों
- एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर और 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों
- बेघर हों या बेघर होने के खतरे में हों और 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों ।

उपलब्ध देखभाल एवं सेवाएँ

यदि आपको आवश्यकता हो तो एज्ड केयर होम में आपको जो देखभाल और सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए उनमें निम्न शामिल हैं:

- दैनिक जीवन की सेवाएँ जैसे बैडरूम का सामान, भोजन, बुनियादी प्रसाधन सामग्री और घर में सामाजिक गतिविधियाँ
- व्यक्तिगत देखभाल सहायता जैसे कि नहाना, तैयार होना और खाने में सहायता
- नैदानिक सेवाएं जैसे दवा लेने में सहायता, नर्सिंग देखभाल और स्वास्थ्य पेशेवर सेवाएं पाना।

यदि आपको विशेष देखभाल की आवश्यकता है, तो आपको अलग या अतिरिक्त देखभाल और सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं, जिनमें शामिल हैं:

- विशेष बिस्तर सामग्री
- वैकल्पिक आहार भोजन और जलपान
- चलने-फ़िरने में सहायक उपकरण जैसे वॉकिंग फ्रेम और व्हीलचेयर, लेकिन मोटर चालित व्हीलचेयर, इलेक्ट्रिक स्कूटर और कस्टम-मेड सहायक उपकरण शामिल नहीं हैं
- अनुरूपित चिकित्सा सेवाएं जैसे कि स्पीच थेरेपी, पोडियाट्री (पैर की देखभाल) और फिजियोथेरेपी।

इस सूची के अलावा अन्य सेवाएँ भी हो सकती हैं। आप अपने एज्ड केयर होम से इस बारे में बात कर सकते हैं।

1 My aged care से संपर्क करें

My Aged Care वह स्थान है जहां आप ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा वित्तपोषित वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) सेवाओं का प्रबंधन करते हैं। आप My Aged Care तक ऑनलाइन, फोन पर या व्यक्तिगत रूप से पहुँच सकते हैं।

वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) सेवाएं पाने के लिए आपको आकलन करवाना होगा। यदि आपका पहले से आकलन नहीं हुआ है, तो आप तीन तरीकों से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं:

ऑनलाइन

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र (फ़ॉर्म) का उपयोग करना शीघ्र एवं आसान है। आप आवेदन करने से पहले पात्रता जांचकर्ता का भी उपयोग कर सकते हैं।

MyAgedCare.gov.au/Apply-Online पर जाएं।

टेलीफोन द्वारा

अपनी आवश्यकताओं पर चर्चा करने के लिए My Aged Care को कॉल करें और फोन पर आकलन के लिए आवेदन पूरा करें। संपर्क केंद्र सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक तथा शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुला रहता है।

फ्रीकॉल **1800 200 422**।

निजी रूप से

आम जानकारी और सहायता के लिए सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया सर्विस सेंटर पर जाएं या ऑनलाइन निःशुल्क व्यक्तिगत मुलाकात बुक करें।

गहन सहायता के लिए, यदि आपके क्षेत्र में कोई वृद्ध देखभाल विशेषज्ञ अधिकारी (एज्ड केयर स्पेशलिस्ट ऑफ़िसर) हो तो आप उससे बात कर सकते हैं, या वीडियो चैट का उपयोग कर सकते हैं।

ServicesAustralia.gov.au/My-Aged-Care-Face-To-Face-Services पर जाएँ।

सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया के सर्विस सेंटर सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहते हैं।

फ्रीकॉल **1800 227 475**।

आवेदन करते समय क्या अपेक्षा करें

जब आप एज्ड केयर के लिए आवेदन करते हैं, तो हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे ताकि पता चल सके कि क्या आप आकलन के लिए पात्र हैं। यदि आप ऐसा करेंगे, तो आपको अपना मेडिकेयर नंबर और संपर्क विवरण सहित कुछ व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करनी होगी। यदि आप एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर हैं, तो आप एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर मूल्यांकन संगठन से अनुरोध कर सकेंगे, यदि उपलब्ध हो।

आवेदन के दौरान, आप अपनी पसंद के किसी व्यक्ति, जैसे परिवार के सदस्य, मित्र या देखभालकर्ता को अपने पंजीकृत सहयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वे आपकी ओर से My Aged Care से बात कर सकते हैं, निर्णय लेने में आपकी मदद कर सकते हैं और आपकी जानकारी पा सकते हैं या अनुरोध कर सकते हैं। आप किसी भी समय अपने पंजीकृत सहयोगकर्ता को बदलने के लिए कह सकते हैं।

हम आपसे व्यक्तिगत ग्राहक रिकॉर्ड बनाने की अनुमति भी मांगेंगे। इसमें आपकी आवश्यकताओं, किसी भी मूल्यांकन के परिणाम और आपको प्राप्त होने वाली सेवाओं के बारे में अप-टू-डेट जानकारी होगी। ग्राहक रिकॉर्ड से आपको अपनी बात दोबारा बताने की आवश्यकता कम हो जाएगी।

आप अपने My Aged Care Online खाते के माध्यम से अपने ग्राहक रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं। यह खाता आपकी सेवाओं, प्रतिनिधियों और व्यक्तिगत विवरणों को प्रबंधित करने का एक निःशुल्क और सुरक्षित तरीका है। आप अपने ऑनलाइन खाते को अपने myGov खाते से लिंक करके उस तक पहुंच सकते हैं।

और अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर जाएं: **MyAgedCare.gov.au/Access-Your-Information-Online**।

2 एज्ड केयर असेसमेंट करवाएं

एज्ड केयर असेसमेंट को सरल और बेहतर बनाने के लिए एक नई सिंगल असेसमेंट सिस्टम लागू की गई है। इससे आपकी आवश्यकताओं के अनुसार एज्ड केयर और विभिन्न सेवाओं तक आपकी पहुंच आसान हो जाती है।

सिंगल असेसमेंट सिस्टम:

- आपके, आपके पंजीकृत समर्थकों, आपके परिवार और देखभाल करने वालों के लिए नेविगेट करना आसान है
- अपनी बात बार-बार कहने से बचाता है
- मूल्यांकन प्रदाता को बदले बिना, आपकी बदलती जरूरतों के अनुसार अनुकूलित हो जाता है
- क्षेत्रीय, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में मूल्यांकन तक पहुंच सुनिश्चित करता है।

एज्ड केयर आवश्यकताओं का आकलन करने वाले सभी संगठन अब निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं:

- राष्ट्रमंडल गृह सहायता कार्यक्रम (कॉमनवेल्थ होम सपोर्ट प्रोग्राम) के लिए गृह सहायता मूल्यांकन
- सपोर्ट ऐट होम कार्यक्रम, आवासीय राहत और आवासीय एज्ड केयर में प्रवेश के लिए व्यापक मूल्यांकन।

इन आकलनों का उपयोग नेशनल एबोरिजनल एंड टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर फ्लेक्सिबल एज्ड केयर, बहुउद्देश्यीय सेवाएं (मल्टी-पर्पस सर्विसेज़) और संक्रमणकालीन देखभाल कार्यक्रम सेवाओं (ट्रांज़िशनल केयर प्रोग्राम सर्विसेज़) पाने के लिए भी किया जा सकता है।

एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर मूल्यांकन संगठन भी 1 जुलाई 2025 से चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जा रहे हैं। ये संगठन वृद्ध एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों को वृद्ध देखभाल तक पहुंच के लिए सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित, ट्रॉमा के प्रति जागरूक और उपचार संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं।

मूल्यांकन कैसे काम करता है

एक बार जब आप My Aged Care के साथ मूल्यांकन के लिए पंजीकरण कर लेते हैं, तो एक स्थानीय मूल्यांकन संगठन आपके रेफरल को स्वीकार करने के 2 - 6 सप्ताह के भीतर आपसे संपर्क करेगा।

आपके द्वारा बुक किए गए समय और तिथि पर आपका आकलन करने के लिए एक आकलनकर्ता आपके घर आएगा। आप चाहें तो मूल्यांकन के समय अपने किसी पारिवारिक सदस्य, मित्र या देखभालकर्ता को बुला सकते हैं जो आपकी सहायता कर सके या आपकी ओर से बात रख सके। वृद्ध देखभाल आकलन (एज्ड केयर असेसमेंट) निःशुल्क होते हैं।

यदि आप एक वृद्ध एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर हैं, तो आप मूल्यांकन के समय सहायता के लिए एक एल्डर केयर सपोर्ट कार्यकर्ता की इच्छा रख सकते हैं। यदि इससे आपके मूल्यांकन में मदद मिलेगी तो मूल्यांकनकर्ता आपको दुभाषिया सेवाओं के माध्यम से भी सहायता प्रदान कर सकते हैं।

यदि व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है, तो आपका वृद्ध देखभाल आकलनकर्ता (एज्ड केयर अस्सेसर) टेलीफोन या वीडियो मीटिंग मूल्यांकन की व्यवस्था कर सकता है। ऐसा तब हो सकता है जब आप किसी दूरदराज के क्षेत्र में हों, अस्पताल में हों, या असाधारण परिस्थितियों में हों (उदाहरण के लिए, मौसम संबंधी घटना)।

आपके मूल्यांकन के दौरान, वृद्ध देखभाल आकलनकर्ता आपसे आपकी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों, आपकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के बारे में पूछेगा, आप क्या अच्छे से कर सकते हैं, आपको किस काम में सहायता की आवश्यकता है, और आप क्या करना चाहते हैं।

आपके मूल्यांकन का परिणाम

आपके मूल्यांकन के बाद, मूल्यांकनकर्ता प्रतिनिधि को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा - प्रतिनिधि ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा एज्ड केयर तक आपकी पहुंच पर निर्णय लेने के लिए नियुक्त एक निष्पक्ष व्यक्ति है।

इसके बाद प्रतिनिधि आपकी देखभाल आवश्यकताओं के बारे में औपचारिक निर्णय लेंगे। यदि आपको एज्ड केयर होम में प्रवेश के लिए पात्र माना जाता है, तो आपको अपने एज्ड केयर आकलनकर्ता से एक अनुमोदन पत्र और सहायता योजना प्राप्त होगी, जिसमें वह देखभाल निर्धारित की जाएगी जिसके लिए आपको स्वीकृति दी गई है।

सहायता योजना में एक विशिष्ट रेफरल कोड शामिल होगा जिसे आप अपने चुने हुए प्रदाता को देंगे जब और यदि आप एज्ड केयर होम में जाने का चयन करते हैं। एज्ड केयर होम में प्रवेश के बारे में निर्णय आपकी सहमति से लिया जाना चाहिए।

यदि आपको वृद्ध देखभाल गृह में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है, तो आपको एक पत्र प्राप्त होगा जिसमें कारण बताया जाएगा तथा अधिक सहायता के लिए किससे संपर्क करना है। आप अन्य देखभाल और सेवाओं के लिए पात्र हो सकते हैं और यदि ऐसा है, तो यह जानकारी आपके पत्र के साथ शामिल की जाएगी।

यदि आपको अपने मूल्यांकन निर्णय को स्पष्ट करने वाला अनुमोदन पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो आपको सबसे पहले अपने एज्ड केयर आकलनकर्ता से संपर्क करना चाहिए या My Aged Care को **1800 200 422** पर कॉल करके उसकी एक प्रति मांगनी चाहिए।

यदि आपकी आवश्यकताएं समय के साथ बदलती हैं और आप पहले से ही उन एज्ड केयर सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं जिनके लिए आपका मूल्यांकन किया गया था, तो आपको पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है।

आकलन से जुड़ी शिकायतें

यदि आपको अपने मूल्यांकन के बारे में कोई चिंता है, तो सबसे पहले अपने एज्ड केयर आकलनकर्ता से बात करने का प्रयास करें, क्योंकि इस तरह से समाधान पाना संभव हो सकता है।

वृद्ध देखभाल आकलन (एज्ड केयर असेसमेंट) संगठनों के पास शिकायत प्रक्रियाएं मौजूद हैं और वे आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करेंगे।

यदि आप और वृद्ध देखभाल आकलनकर्ता (एज्ड केयर अस्सेसर) समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, या आप सीधे उनसे संपर्क करने में असहज महसूस करते हैं, तो फ्रीकॉल **1800 200 422** पर My Aged Care से संपर्क करें।

आवासीय राहत देखभाल (रेसपाईट केयर) - एज्ड केयर होम में अल्पकालीन प्रवास

यदि घर पर आपका/आपके देखभालकर्ता किसी कारणवश आपकी देखभाल करने में असमर्थ हैं, तो आप एज्ड केयर होम में कुछ समय के लिए रह सकते हैं। इसे 'आवासीय राहत देखभाल' कहा जाता है और इसे योजनाबद्ध तरीके से या आपातकालीन आधार पर प्राप्त किया जा सकता है।

उपलब्ध देखभाल

एज्ड केयर होम में आपको वही देखभाल और सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए जो आपको वहां स्थायी रूप से रहने पर प्राप्त होतीं।

आप प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 63 दिनों तक आवासीय राहत का लाभ उठा सकते हैं। आप या आपका प्रदाता अपने एज्ड केयर आकलनकर्ता से संपर्क करके इस समय को 21 दिनों के लॉट में बढ़ाने के लिए कह सकते हैं।

आवासीय रेसपाईट केयर तक पहुंच

आपको एज्ड केयर होम में रेसपाईट के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। कौन से वृद्ध देखभाल गृह आवासीय रेसपाईट केयर प्रदान करते हैं, इसकी जानकारी My Aged Care वेबसाइट पर मिल सकती है। सभी घरों में रेसपाईट केयर उपलब्ध नहीं होती, इसलिए सेवाओं की उपलब्धता क्षेत्र दर क्षेत्र भिन्न होती है। आपको अलग-अलग घरों से संपर्क करके यह पता लगाना होगा कि उनके पास ख़ाली जगहें हैं या नहीं।

यदि आपको रेसपाईट केयर देखभाल, या अतिरिक्त देखभालकर्ता सहायता की आवश्यकता है, तो आप केयरर गेटवे से संपर्क कर सकते हैं:

- निःशुल्क कॉल **1800 422 737** कार्यदिवसों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक
- देखभालकर्ताओं को सहायता प्रदान करने वाली सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए **CarerGateway.gov.au** पर जाएं।

पृष्ठ 21 पर रेसपाईट केयर देखभाल लागत भी देखें।

एज्ड केयर होम में प्रवेश पाने के मार्ग-पथ (पॉथवेज़)

जब आपका मूल्यांकन हो जाए और आपको आवासीय एज्ड केयर के लिए स्वीकृति पत्र प्राप्त हो जाए, तो एज्ड केयर होम में प्रवेश करने और अपनी सेवाओं का प्रबंधन करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

1. लागत का पता लगाएं
2. एज्ड केयर होम खोजें
3. वृद्ध देखभाल गृह में आवेदन करें और प्रस्ताव स्वीकार करें
4. अपने वृद्ध देखभाल गृह के साथ अनुबंध करें
5. अपनी देखभाल और सेवाओं का प्रबंधन करें

ऑस्ट्रेलियाई सरकार लागत को उचित और किफायती बनाए रखने के लिए वृद्ध देखभाल गृहों को सब्सिडी देती है। आपकी देखभाल आवश्यकताओं के आधार पर सब्सिडी का भुगतान सीधे आपके घर पर किया जाता है।

औसतन, सरकार प्रत्येक स्थायी एज्ड केयर होम निवासी के लिए प्रति वर्ष लगभग 119,000 डॉलर का योगदान देती है। यह राशि प्रत्येक वर्ष बढ़ती जाती है।

यदि आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो आपको अपने दैनिक जीवन-यापन की लागत, गैर-चिकित्सीय देखभाल और आवास के लिए भुगतान करना होगा।

अपनी फीस, अंशदान और आवास लागत का अनुमान लगाने के लिए, My Aged Care वेबसाइट **MyAgedCare.gov.au/Aged-Care-Home-Fee-Estimator** पर शुल्क अनुमानक का उपयोग करें।

गहन सहायता के लिए, यदि आपके क्षेत्र में कोई वृद्ध देखभाल विशेषज्ञ अधिकारी (एज्ड केयर स्पेशलिस्ट ऑफ़िसर) हो तो आप उससे बात कर सकते हैं, या वीडियो चैट का उपयोग कर सकते हैं।

ServicesAustralia.gov.au/My-Aged-Care-Face-To-Face-Services पर जाएँ।

निःशुल्क कॉल **1800 227 475** पर कार्यदिवसों में प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक।

शुल्क, भुगतान और आवास लागत

यदि आप 1 नवंबर 2025 से आवासीय एज्ड केयर में प्रवेश करते हैं तो दो अलग-अलग प्रकार की शुल्क व्यवस्थाओं में से एक लागू हो सकती है।

यदि आप 12 सितम्बर 2024 को होम केयर पैकेज प्राप्त कर रहे थे या स्वीकृत हो चुके थे तथा पैकेज की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो आपको 1 जुलाई 2014 की शुल्क व्यवस्था के तहत शुल्क का भुगतान करना होगा। अन्यथा आप 1 नवंबर 2025 की शुल्क व्यवस्था पर होंगे।

12 सितंबर 2024 के बाद होम केयर पैकेज के लिए अनुमोदित:

- मूल दैनिक शुल्क
- होटलिंग योगदान
- गैर-नैदानिक देखभाल योगदान
- दैनिक उच्चतर जीवन शुल्क।

12 सितंबर 2024 को या उससे पहले होम केयर पैकेज के लिए अनुमोदित:

- मूल दैनिक शुल्क
- साधनों के परीक्षण पर आधारित देखभाल शुल्क
- दैनिक उच्चतर जीवन शुल्क।

इन शुल्कों और अंशदानों के अतिरिक्त, देखभाल में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से उनके आवास की लागत का भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है। शुल्क के प्रकारों की सूची इस प्रकार है।

- **मूल दैनिक शुल्क**

  इसमें भोजन, बिजली और कपड़े धोने जैसी दैनिक जीवन लागतें शामिल हैं। यह शुल्क हर कोई चुकाता है और कुछ लोगों के लिए यह एकमात्र शुल्क है जिसे उन्हें चुकाना होता है।

  भूतपूर्व युद्धबंदियों (Prisoners Of War) (POW) और विक्टोरिया क्रॉस (VC) के पात्र प्राप्तकर्ताओं के लिए मूल दैनिक शुल्क का भुगतान भूतपूर्व सैनिक मामलों का विभाग (Department of Veterans' Affairs) (DVA) करेगा।

- **होटलिंग योगदान (1 नवंबर 2025 शुल्क व्यवस्था)**

  ऑस्ट्रेलियाई सरकार मूल दैनिक शुल्क के अतिरिक्त होटलिंग अनुपूरक का भुगतान करती है तथा आवासीय एज्ड केयर में दैनिक जीवन सेवाएं प्रदान करने की पूरी लागत को वहन करती है, जिसमें भोजन, सफाई, कपड़े धोने और उपयोगिता सेवाएं शामिल हैं। यह अनुपूरक साधनों की जाँच पर आधारित है और प्रत्येक वर्ष मार्च और सितम्बर में इसे अनुक्रमित किया जाता है। यदि आप वहन कर सकते हैं, तो आपको इस लागत में योगदान करना होगा।

  पात्र पूर्व युद्धबंदियों और वी.सी. प्राप्तकर्ताओं को होटलिंग अंशदान का भुगतान करने से छूट दी गई है।

- **गैर-नैदानिक देखभाल योगदान (1 नवंबर 2025 शुल्क व्यवस्था)**

  इसमें स्नान, चल फिर पाने में सहायता और जीवनशैली गतिविधियों जैसी गैर-नैदानिक देखभाल लागतें शामिल हैं। आपकी क्षमता के आधार पर, यदि आप पूर्ण होटलिंग योगदान का भुगतान करने में सक्षम हैं, तो आपसे गैर-क्लीनिकल देखभाल योगदान का कुछ या पूरा भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है। Services Australia या DVA आपको बताएगा कि क्या आपको गैर-नैदानिक देखभाल योगदान का भुगतान करने की आवश्यकता है और राशि आपके साधनों के मूल्यांकन पर आधारित होगी। इस राशि पर दैनिक और आजीवन सीमा लागू होती है, तथा सीमा राशि मार्च और सितम्बर में अनुक्रमित की जाती है। यदि आप आजीवन सीमा तक पहुंच जाते हैं, या 4 वर्ष की संचयी अवधि के बाद, इनमें से जो भी पहले हो, तो आपसे यह अंशदान देने के लिए नहीं कहा जाएगा।

  पात्र पूर्व युद्धबंदियों और वी.सी. प्राप्तकर्ताओं को गैर-नैदानिक देखभाल अंशदान का भुगतान करने से छूट दी गई है।

- **साधन परीक्षणित देखभाल शुल्क (1 जुलाई 2014 शुल्क व्यवस्था)**

  यदि आप 1 जुलाई 2014 की शुल्क व्यवस्था के अंतर्गत हैं और आपकी आय और परिसंपत्तियां एक निश्चित राशि से अधिक हैं, तो आपसे आपकी देखभाल की लागत में योगदान करने के लिए कहा जा सकता है। Services Australia या DVA आपको बताएगा कि आपको यह शुल्क देना होगा या नहीं और राशि आपके साधनों का मूल्यांकन पर आधारित होगी। इस शुल्क पर वार्षिक और आजीवन सीमा लागू होती है, तथा सीमा राशि मार्च और सितम्बर में अनुक्रमित की जाती है।

  पात्र पूर्व युद्धबंदियों और वी.सी. (POWs and VC) प्राप्तकर्ताओं को साधनों पर आधारित देखभाल शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।

- **आवास लागत**

  यह एज्ड केयर होम में आपके आवास के लिए है। आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली आवास लागत आपके साधनों का मूल्यांकन पर आधारित होगी और निम्न में से एक होगी:

  - **आवास भुगतान**: यदि आपको अपने आवास की पूरी लागत का भुगतान करने की आवश्यकता है, तो आप अपने एज्ड केयर होम में कमरे की स्वीकृत कीमत का भुगतान करेंगे।
  - **आवास योगदान**: यदि आपको अपने आवास के लिए कुछ भुगतान करना है, तो आप अपनी आय और परिसंपत्तियों के आधार पर योगदान देंगे। बाकी राशि का भुगतान ऑस्ट्रेलियाई सरकार करेगी।
  - **कोई आवास लागत नहीं**: कुछ लोगों के लिए, सरकार आपके सभी आवास लागतों का भुगतान करेगी।

  Services Australia आपको बताएगा कि आप पर क्या लागू होता है।

- **उच्च दैनिक जीवन शुल्क**

  आप अतिरिक्त वस्तुओं और सेवाओं के लिए भी भुगतान करना चुन सकते हैं, जो आपके एज्ड केयर होम द्वारा प्रदान की जाने वाली देखभाल और सेवाओं से अलग हैं। शुल्क पर आप और आपके प्रदाता के बीच सहमति बनती है और इस पर सहमति केवल तभी हो सकती है जब आप देखभाल लेना शुरू कर लें। आपके पास 28 दिन का 'कूलिंग ऑफ पीरियड' होगा जिसके दौरान आप अनुबंध रद्द कर सकते हैं। आपके शुल्क समझौते की वार्षिक समीक्षा की जाएगी तथा इसे अपने प्रदाता को 28 दिन का नोटिस देकर किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

एज्ड केयर होम में आपके रहने के प्रत्येक दिन के लिए शुल्क और अंशदान देय हैं। इनकी गणना प्रतिदिन की जाती है, लेकिन आमतौर पर एज्ड केयर होम को पाक्षिक या मासिक भुगतान किया जाता है।

एज्ड केयर होम की लागतों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, **MyAgedCare.gov.au/Aged-Care-Home-Costs-and-Fees** पर जाएं।

साधनों का मूल्यांकन

आपको यह जानने के लिए साधनों का मूल्यांकन की आवश्यकता होगी कि क्या आप:

- आप अपने आवास लागत के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार की सहायता के लिए पात्र हैं
- आपको अपनी गैर-नैदानिक देखभाल या होटल की लागत, या परीक्षणित देखभाल शुल्क के लिए अंशदान का भुगतान करना होगा, तथा यह अंशदान कितना होगा।

साधन मूल्यांकन आपकी वित्तीय स्थिति और एज्ड केयर के लिए भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करता है। ये कार्य Services Australia द्वारा किए जाते हैं, सिवाय वेटेरन समुदाय के पात्र सदस्यों के, जिनका मूल्यांकन DVA द्वारा किया जा सकता है।

आपको अपना वित्तीय विवरण देना पड़ सकता है

साधनों का मूल्यांकन में आपकी परिसंपत्तियों और आय के बारे में जानकारी प्रदान करना शामिल है और यह निर्धारित करता है कि आप एज्ड केयर के लिए कितना भुगतान करते हैं।

हर किसी को अपना वित्तीय विवरण देने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि आपको Services Australia या डीवीए से परीक्षणित भुगतान प्राप्त होता है और आपके पास अपना घर नहीं है, तो आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होगी। Services Australia के पास आपके आय और परिसंपत्तियों के बारे में पर्याप्त जानकारी पहले से ही होगी, जिससे आपका साधनों का मूल्यांकन पूरा किया जा सके।

क्या आपको अपने वित्तीय विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है या नहीं, इसका पता आप सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट ServicesAustralia.gov.au/How-To-Apply-For-Aged-Care-Calculation-Your-Cost-Care पर जाकर या कार्यदिवसों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया को **1800 227 475** पर कॉल करके लगा सकते हैं।
ServicesAustralia.gov.au/How-To-Apply-For-Aged-Care-Calculation-Your-Cost-Care

साधनों के मूल्यांकन की व्यवस्था कैसे करें

और अधिक जानने या साधनों का मूल्यांकन (means assessment) पूरा करने के लिए:

- फ्रीकॉल Services Australia
- किसी से मिल कर बात करने के लिए, यदि आपके क्षेत्र में कोई चयनित Services Australia सेवा केंद्र है, तो वहां पर एज्ड केयर विशेषज्ञ अधिकारी के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, या वीडियो चैट के माध्यम से बात करें।

यदि आप अपनी आय का मूल्यांकन नहीं कराना चाहते हैं, तो आप अपने आवास और देखभाल लागत के लिए सरकारी सहायता पाने के पात्र नहीं होंगे। इसके बाद एज्ड केयर होम आपसे अधिकतम शुल्क और उनके प्रकाशित अधिकतम कमरे की कीमत तक आवास भुगतान की मांग कर सकता है।

अपने साधनों के मूल्यांकन की स्थिति की जांच करने के लिए Services Australia या DVA से संपर्क करें।

आपको अपने वित्तीय विवरण को अप-टू-डेट रखना होगा।

एक बार जब आपके साधनों का मूल्यांकन हो जाए, तो आपको अपनी आय और परिसंपत्तियों को Services Australia या DVA के साथ अप-टू-डेट रखना होगा। कानूनी तौर पर आपको अपनी (और अपने साथी की) व्यक्तिगत या वित्तीय परिस्थितियों में हुए परिवर्तनों की रिपोर्ट 28 दिनों के भीतर देनी आवश्यक है। इससे आपकी परिस्थितियों के अनुरूप वृद्ध देखभाल शुल्क को सही रखने में मदद मिलेगी।

आप अपने विवरण को अपडेट करने के तरीके के बारे में **ServicesAustralia.gov.au/Update-Your-Details-If-You-Get-Help-With-Aged-Care-Cost-Care** पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सम्पर्क करने का विवरण

Services Australia निःशुल्क कॉल **1800 227 475**पर कार्यदिवसों में प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक।

डिपार्टमेंट ऑफ़ वेटेरन अफेयर्स (DVA) – निःशुल्क कॉल **1800 838 372**।

प्रवेश-पूर्व मूल्यांकन पत्र

यदि आप वृद्ध देखभाल गृह में जाने से पहले साधनों का मूल्यांकन करवाते हैं, तो आपको एक पत्र प्राप्त होगा जिसमें आपसे भुगतान के लिए कहा जा सकने वाले शुल्क का अनुमान होगा। यह सलाह 120 दिनों तक वैध रहेगी, जब तक कि आपकी परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन न हो जाए।

यदि आपकी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है, तो आपको Services Australia या DVA को सूचित करना होगा। यदि आवश्यक हुआ तो Services Australia आपका प्रवेश-पूर्व मूल्यांकन पत्र (pre-entry assessment letter) पुनः जारी करेगा।

यदि आपको साधनों का मूल्यांकन पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि Services Australia या DVA के पास पहले से ही आपका वित्तीय विवरण है, तो जब आप एज्ड केयर होम में चले जाएंगे तो आपको शुल्क संबंधी सलाह पत्र प्राप्त होगा।

यदि आपको देखभाल में प्रवेश करने से पहले प्रवेश-पूर्व मूल्यांकन पत्र की आवश्यकता है, तो आप Services Australia से निःशुल्क कॉल **1800 227 475** या DVA से निःशुल्क कॉल **1800 838 372** पर संपर्क करके अनुरोध कर सकते हैं।

संभावित एज्ड केयर होम के साथ चर्चा के लिए अपना प्रवेश-पूर्व मूल्यांकन पत्र अपने साथ ले जाएं ताकि आपको उनकी लागतों को समझने में मदद मिल सके।

आप कितना भुगतान करते हैं?

एक बार जब आप एज्ड केयर होम में चले जाते हैं, तो Services Australia आपको और आपके प्रदाता को एक पत्र भेजेगा जिसमें अधिकतम शुल्क का विवरण होगा जिसे आपको भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है। जब भी आपके होटलिंग योगदान, गैर-क्लीनिकल देखभाल योगदान, परीक्षणित देखभाल शुल्क या आवास योगदान में कोई परिवर्तन होगा, तो वे आपको हर बार एक नया पत्र भेजेंगे।

चाहे आपको अपने आवास के लिए योगदान देना पड़े या नहीं, एज्ड केयर होम में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने एज्ड केयर होम के साथ लिखित रूप में कमरे की कीमत पर सहमति बनानी होगी। आप जिस कमरे की कीमत पर सहमत होते हैं, उसे आपके द्वारा प्रदाता के साथ आवास में प्रवेश करने से पहले किए गए समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। इसे Services Australia के शुल्क सलाह पत्रों में शामिल नहीं किया जाएगा।

सभी एज्ड केयर होम को, जो आवास के लिए भुगतान लेते हैं, अपने आवास की लागत My Aged Care वेबसाइट पर ' प्रदाता खोजें' टूल में प्रकाशित करना आवश्यक है: **MyAgedCare.gov.au/Find-A-Provider**।

कमरे का विज्ञापित मूल्य वह अधिकतम मूल्य है जो एज्ड केयर होम आपसे मांग सकता है। हालाँकि, आप एज्ड केयर होम के साथ सीधे कीमत कम करने के लिए बातचीत करने में सक्षम हो सकते हैं।

आवास भुगतान विकल्प

देखभाल में प्रवेश करने से पहले आपको अपने प्रदाता के साथ कमरे की कीमत पर लिखित रूप से सहमत होना होगा। आपके साधनों के मूल्यांकन (means assessment) से यह तय होगा कि क्या आपको कमरे का उतना किराया देना होगा जितने की सहमति हुई है या कम राशि का योगदान करना होगा।

आप अपने आवास भुगतान या अंशदान का भुगतान निम्न प्रकार से कर सकते हैं:

- एकमुश्त भुगतान जिसे यह कहते हैं
  - आवास जमा (आरएडी) या
  - वापसी योग्य आवास योगदान (आरएसी)
- किराये-शैली के भुगतान जिन्हें दैनिक आवास भुगतान (डीएपी) या दैनिक आवास योगदान (डीएसी) कहा जाता है
- एकमुश्त और किराये के भुगतान का संयोजन।

आवासीय एज्ड केयर में प्रवेश करने से पहले आपसे भुगतान विधि चुनने के लिए नहीं कहा जा सकता। प्रवेश के बाद आप किसी भी समय एकमुश्त राशि का भुगतान करना चुन सकते हैं। जब तक आप एकमुश्त राशि का भुगतान नहीं करते हैं, आपको दैनिक भुगतानों से इनका भुगतान करना होगा जो कि रिफंड किए जाने योग्य नहीं होंगे।

यदि आप पर RAD या RAC रिटेन्शन (प्रतिधारण) लागू होते हैं, तो आपका प्रदाता RAD और RAC रिटेन्शन (प्रतिधारण) लागू करेगा

1 नवंबर 2025 से, यदि आपने इस तरह से अपने आवास के लिए भुगतान करने का चयन किया हो तो, प्रदाता आपके RAD या RAC बैलेंस का एक छोटा हिस्सा काट सकते हैं और इसे अपने पास रख सकते हैं। प्रदाता कटौती की जाने वाली राशि की गणना करेगा। यह राशि नियमित तौर पर काटी जाएगी तथा आपके देखभाल छोड़ने पर वापस नहीं की जाएगी। 5 वर्ष तक देखभाल के बाद, कोई और प्रतिधारण राशि नहीं काटी जाएगी। यदि आप लम्बे समय तक एज्ड केयर में हैं तो यह आपकी सुरक्षा के लिए है।

आपका प्रदाता आपको बताएगा कि क्या RAD या RAC रिटेन्शन (प्रतिधारण) आप पर लागू होते हैं या नहीं।

यदि आप एकमुश्त राशि का भुगतान करना चुनते हैं, तो शेष राशि आपके घर छोड़ते समय यह वापस कर दी जाती है, जिसमें से किसी भी लागू RAD या RAC प्रतिधारण कटौतियों और किसी भी अन्य कटौतियों को घटा दिया जाता है, जिस पर आपने सहमति व्यक्त की है।

DAP इंडेक्सेशन (सूचीकरण)

आवास की बढ़ती लागतों के साथ-साथ DAP भुगतान को अनुक्रमित किया जा सकता है। यदि आप पर DAP इंडेक्सेशन व्यवस्थाएँ लागू होती हैं, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index, CPI) में बदलावों के अनुरूप प्रत्येक वर्ष 20 मार्च और 20 सितंबर को आपकी DAP राशि बढ़ जाएगी। ये वही तिथियाँ हैं जिन पर आयु पेंशन में वृद्धि होती है। आपका प्रदाता आपको बताएगा कि क्या DAP इंडेक्सेशन व्यवस्थाएँ आप पर लागू होती हैं या नहीं। आवास लागत के लिए सरकारी सहायता के लिए पात्र निवासियों द्वारा भुगतान किए गए DACs पर सूचकांक लागू नहीं होता है।

संयोजन भुगतान

यदि आप संयुक्त भुगतान चुनते हैं, तो आप अपने द्वारा भुगतान की गई एकमुश्त राशि में से दैनिक भुगतान निकालने का विकल्प चुन सकते हैं। आपका प्रदाता एकमुश्त राशि से अन्य वृद्ध देखभाल शुल्क, जैसे कि मूल दैनिक शुल्क, निकालने पर भी सहमत हो सकता है। समय के साथ, इससे आपका दैनिक भुगतान बढ़ता जाएगा, जब तक कि आप एकमुश्त राशि जमा न कर दें।

यदि आपसे आवास योगदान देने के लिए कहा गया है, तो आपसे भुगतान के लिए कहा जाने वाला अधिकतम धन Services Australia द्वारा सूचित किया जाएगा। Services Australia द्वारा दी गई DAC इस बात पर विचार नहीं करती कि आपने पूर्ण या आंशिक आरएसी का भुगतान किया है। जब भी Services Australia नया शुल्क सलाह पत्र भेजेगा, तो आपके एज्ड केयर प्रदाता को इन राशियों की पुनः गणना करनी होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आप अपनी वित्तीय परिस्थितियों के अनुरूप सही राशि का भुगतान करते रहेंगे।

आवास लागत के बारे में अधिक जानकारी My Aged Care वेबसाइट पर उपलब्ध है: **MyAgedCare.gov.au/Understanding-Aged-Care-Home-Accommodation-Costs**।

आवासीय राहत देखभाल (रेसपाईट केयर)लागत

यदि आप एज्ड केयर होम के माध्यम से आवासीय राहत देखभाल प्राप्त करते हैं, तो आपको होटलिंग योगदान, गैर-नैदानिक देखभाल योगदान या आवास लागत का भुगतान नहीं करना होगा।

आपसे एक बुनियादी दैनिक शुल्क और संभवतः बुकिंग शुल्क का भुगतान करने की अपेक्षा की जा सकती है। DVA पात्र वेटेरनोंऔर युद्ध विधवाओं/विधुरों के लिए मूल दैनिक शुल्क का भुगतान कर सकता है। मूल्यांकन के लिए वेटरन्स होम केयर से निःशुल्क संपर्क करें - **1300 550 450**।

बुकिंग शुल्क आवासीय राहत देखभाल शुल्क का पूर्व भुगतान है और यह पूरे सप्ताह के शुल्क से अधिक नहीं हो सकता है, या संपूर्ण प्रवास के शुल्क का 25% हो सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी राशि सबसे कम है।

यदि आप अपनी प्रवेश तिथि से 7 दिन से अधिक पहले अपनी राहत देखभाल बुकिंग रद्द करते हैं, तो आपके प्रदाता को आपकी बुकिंग फीस वापस करनी होगी।

आप अतिरिक्त वस्तुओं और सेवाओं के लिए भी भुगतान करना चुन सकते हैं, जो आपके एज्ड केयर होम द्वारा प्रदान की जाने वाली देखभाल और सेवाओं से अलग हैं। उच्चतर जीवन-यापन शुल्क पर आप और आपके प्रदाता के बीच सहमति बनती है और इस पर सहमति केवल तभी हो सकती है जब आप देखभाल में प्रवेश कर लें।

जब आपकी सरकार द्वारा वित्तपोषित राहत देखभाल के दिन समाप्त हो जाते हैं, और यदि आप देखभाल में बने रहते हैं, तो आपका प्रदाता आपसे अतिरिक्त राशि ले सकता है। इस पर पहले से सहमति होनी चाहिए तथा इसे आपके सेवा अनुबंध में उल्लिखित किया जाना चाहिए।

विशेषज्ञ प्रदाता लागत

विशेषज्ञ एज्ड केयर कार्यक्रम, जैसे कि NATSIFAC या बहुउद्देश्यीय सेवाएं (Multi-Purpose Services), अपनी फीस की गणना अलग तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है कि इन कार्यक्रमों के लिए साधन परीक्षण लागू नहीं हो और आपको अपने प्रदाता के साथ किसी भी संभावित शुल्क पर बात करनी चाहिए।

विशेषज्ञ प्रदाताओं के बारे में अधिक जानकारी My Aged Care वेबसाइट पर उपलब्ध है:
MyAgedCare.gov.au/Support-People-Rural-And-Remote-Areas
या
MyAgedCare.gov.au/Support-Aboriginal-And-Torres-Strait-Islander-People।

वित्तीय कठिनाई सहायता

यदि आपको अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से अपने आवास शुल्क, अंशदान और आवास लागत का भुगतान करने में कठिनाई हो रही है तो सहायता उपलब्ध है। आपकी व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर, आप अपने मूल दैनिक शुल्क, परीक्षणित देखभाल शुल्क, होटल योगदान, गैर-नैदानिक देखभाल योगदान और/या आवास लागत के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

वित्तीय कठिनाई सहायता के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं
MyAgedCare.gov.au/Financial-Hardship-Assistance या
Services Australia को निःशुल्क कॉल करें **1800 227 475**।

वित्तीय जानकारी और शिक्षा

अपने वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) के लिए भुगतान करने के तरीके का निर्णय लेने से पहले स्वतंत्र वित्तीय सलाह लेना एक अच्छा विचार है। कुछ भुगतान विधियां आपकी पेंशन और एज्ड केयर शुल्क और अंशदान को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा, यदि आपको और आपके जीवनसाथी (पार्टनर) दोनों को वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) की आवश्यकता है, तो भुगतान करने का आपका प्रत्येक तरीका दूसरे व्यक्ति के वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) शुल्क और योगदान को प्रभावित कर सकता है।

वृद्ध देखभाल (aged care) शुल्क और योगदान के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, **1800 227 475** पर निःशुल्क कॉल करें और यदि आपके क्षेत्र में कोई चयनित Services Australia सेवा केंद्र है तो वहां वृद्ध देखभाल विशेषज्ञ अधिकारी के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, या वीडियो चैट का उपयोग करें।

आप सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया की वित्तीय सूचना सेवा से अपने वित्त प्रबंधन के बारे में बुनियादी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। यह निःशुल्क सेवा आपकी वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए निवेश और वित्तीय मामलों के बारे में सोचे-समझे निर्णय लेने में आपकी मदद कर सकती है। **ServicesAustralia.gov.au/Financial-Information-Service** पर जाएं।

2 एज्ड केयर होम खोजें

एज्ड केयर होम का चयन करते समय यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या वह गृह आपकी वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। अपने लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप कुछ अलग-अलग घरों में जाकर देखें:

- आवास कैसा है
- वे किस प्रकार की देखभाल, सेवाएं और गतिविधियाँ प्रदान करते हैं
- वे आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को सर्वोत्तम तरीके से कैसे पूरा कर सकते हैं
- आवास की कीमतें
- कोई भी अतिरिक्त वस्तु या सेवा जो वे उच्च जीवन-यापन शुल्क के रूप में प्रदान करते हैं।

आप निम्न प्रकार से प्रदाता ढूंढ सकते हैं:

- My Aged Care वेबसाइट पर 'प्रदाता खोजें' टूल का उपयोग करके प्रदाताओं को खोजने और उनकी तुलना करने के लिए **MyAgedCare.gov.au/Find-A-Provider** पर जाएं
- My Aged Care को निःशुल्क **1800 200 422** पर कॉल करें और फोन पर स्थानीय एज्ड केयर होम की सूची मांगें या वे इसे आपको डाक से भेज सकते हैं
- यदि आपके क्षेत्र में कोई चयनित Services Australia सेवा केंद्र है तो वहां के एज्ड केयर विशेषज्ञ अधिकारी से बात करें, या वीडियो चैट का उपयोग करें। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, सप्ताह के दिनों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक **1800 227 475** पर निःशुल्क कॉल करें।

स्टार रेटिंग आपको एज्ड केयर होम की गुणवत्ता और सुरक्षा की तुलना करने में मदद कर सकती है। सभी एज्ड केयर होम को एक समग्र स्टार रेटिंग मिलती है, साथ ही 4 उप-श्रेणियों में रेटिंग भी मिलती है - निवासियों का अनुभव, अनुपालन, स्टाफिंग और गुणवत्ता उपाय।

आप अपने लिए महत्वपूर्ण चीज़ों जैसे स्वास्थ्य सहायता, भाषा और आस्था के आधार पर घरों को फ़िल्टर कर सकते हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि एज्ड केयर होम में रहने वाले लोग अपने वृद्ध देखभाल गृहों में मिलने वाली देखभाल और सेवाओं के बारे में कैसा महसूस करते हैं, जैसे कि 'क्या आप यहां सुरक्षित महसूस करते हैं' या 'क्या आपको यहां का खाना पसंद है'।

आप **MyAgedCare.gov.au/Find-A-Provider** पर My Aged Care वेबसाइट पर 'प्रदाता खोजें' टूल का उपयोग करके वृद्ध देखभाल गृह की स्टार रेटिंग देख सकते हैं।

एल्डर केयर सपोर्ट प्रोग्राम, वृद्ध एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों को एज्ड केयर सिस्टम का लाभ उठाने में सहायता कर सकता है। अपने आस-पास एल्डर केयर सपोर्ट कार्यकर्ता को खोजने के लिए, **MyAgedCare.gov.au/Support-Aboriginal-And-Torres-Strait-Islander-People** पर My Aged Care वेबसाइट पर जाएं।

प्रदाताओं से मिलें

एज्ड केयर होम में जाने से पहले उन चीजों की सूची बना लें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आप शायद यह ले जाना चाहें:

- एज्ड केयर आकलनकर्ता से पत्र और रेफरल कोड विवरण, क्योंकि कुछ घर यह देखना चाहेंगे कि आपको आवासीय वृद्ध देखभाल प्राप्त करने के लिए अनुमोदित किया गया है और आपको किन सेवाओं की आवश्यकता है
- यदि आपके पास पहले से ही साधनों का मूल्यांकन का परिणाम है, तो Services Australia से प्रवेश-पूर्व मूल्यांकन पत्र प्राप्त करें।

प्रत्येक घर में जाते समय आप यह भी नोट करना चाहेंगे कि आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है और क्या आप वहां सहज महसूस करते हैं। स्टाफ और वातावरण के बारे में आपकी राय आपको यह निर्णय लेने में मदद करेगी कि कौन सा घर आपके लिए उपयुक्त है।

एज्ड केयर के लिए शोध और तैयारी में सहायता के लिए इस पुस्तिका के पीछे दी गई चेकलिस्ट का उपयोग करें।

एज्ड केयर प्रदाताओं से आप निम्नलिखित प्रश्न पूछना चाहेंगे:

- किस प्रकार की देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती हैं/नहीं की जाती हैं? मुझे किन सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा?
- क्या आप मेरी चिकित्सा आवश्यकताओं जैसे दवा लेने या घाव की देखभाल में मदद कर सकते हैं?
- क्या आप मेरी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं? इनमें भाषा और संस्कृति, धार्मिक विश्वास, कामुकता या लिंग पहचान, पालतू जानवर और चिकित्सा तक पहुंच शामिल हो सकती है।
- भोजन की क्या व्यवस्था है? इनमें बैठने की व्यवस्था, समय, मेनू, आगंतुक, आपके कमरे में भोजन और विशेष आहार शामिल हैं।
- आप मेरी गोपनीयता और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करते हैं?
- सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ कैसे तय की जाती हैं? मेरी रुचियों पर कैसे विचार किया जाता है?
- दुकानों, परिवार और दोस्तों से मिलने या चिकित्सा अपॉइंटमेंट के लिए मैं किस परिवहन का उपयोग कर सकता / सकती हूँ? इस पर कितना खर्च होगा?
- देखभाल कर्मचारियों को क्या प्रशिक्षण दिया गया है? क्या मेरी देखभाल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुझे योग्य नर्सों और व्यक्तिगत देखभाल कर्मियों तक पहुंच प्राप्त होगी? कितने कर्मचारी रातभर देखभाल प्रदान करते हैं?
- मेरा जीवनसाथी, परिवार और मित्र मेरी देखभाल में किस प्रकार शामिल हो सकते हैं? क्या आवश्यकता पड़ने पर वे रात भर रुक सकते हैं? यदि मैं रात भर अपने परिवार के साथ रहना चाहूं तो क्या होगा?

- क्या आप अपॉइंटमेंट और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की व्यवस्था कर सकते हैं? क्या मैं अपने स्वयं के चिकित्सक और अन्य स्वास्थ्य चिकित्सकों से मिलना जारी रख सकता / सकती हूँ?
- गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए क्या जांच व्यवस्थाएं हैं? प्रमाणनऑडिट में घर का प्रदर्शन कैसा रहा? देखभाल और सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हैं?
- क्या आपके पास सरकार द्वारा निर्धारित गृह देखभाल मिनटों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए योग्य नर्सों और व्यक्तिगत देखभाल कार्यकर्ताओं का सही मिश्रण है?
- आप किन क्षेत्रों में सुधार पर काम कर रहे हैं और आपको क्या परिणाम मिले हैं? आप वृद्ध लोगों, उनके परिवारों और देखभाल करने वालों को निर्णयों या गुणवत्ता में सुधार करने में कैसे शामिल करते हैं?
- मैं अपनी चिंता या शिकायत के बारे में किससे बात करूं? शिकायतों का निपटारा कैसे किया जाता है?

3 एज्ड केयर होम में आवेदन करें और प्रस्ताव स्वीकार करें

जब आपको अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वृद्ध देखभाल गृह मिल जाए, तो आप कमरे के लिए आवेदन करना शुरू कर सकते हैं। आप जितने चाहें उतने घरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कई घरों में आवेदन करना एक अच्छा विचार है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पसंदीदा घर में कोई खाली कमरा न हो। जब कोई कमरा उपलब्ध हो जाएगा, एज्ड केयर होम आपसे या आपके नामित संपर्क व्यक्ति से संपर्क करेगा।

एक आवेदन फॉर्म भर दें

सभी वृद्ध देखभाल गृहों की अपनी आवेदन प्रक्रिया होती है और वे आपसे एक फॉर्म भरने के लिए कह सकते हैं। जिन घरों में आपकी रुचि है उनसे बात करें और पता करें कि उनके पास क्या प्रक्रिया है और उन्हें क्या जानकारी चाहिए।

आपको अपने वृद्ध देखभाल आकलनकर्ता से प्राप्त विशिष्ट रेफरल कोड को अपने चुने हुए प्रदाता/प्रदाताओं को देना होगा। इससे उन्हें आपके ग्राहक रिकॉर्ड को देखने और आपकी देखभाल की जरूरतों पर विचार करने में मदद मिलेगी ताकि आपको एज्ड केयर होम में प्रवेश करने में मदद मिल सके।

प्रस्ताव स्वीकार करें

जब कोई कमरा उपलब्ध हो जाएगा, एज्ड केयर होम आपसे या आपके नामित संपर्क व्यक्ति से संपर्क करेगा। एक बार जब आप एज्ड केयर होम में एक कमरे का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं, तो गृह आपको औपचारिक समझौते की पेशकश करेगा, जिसमें सेवाएं, आवास लागत, तथा सरकार द्वारा वित्तपोषित वृद्ध देखभाल सेवाओं के उपभोक्ता के रूप में आपके अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल होंगी।

वहाँ जाने की तैयारी के लिए इस पुस्तिका के पीछे दी गई चेकलिस्ट का उपयोग करें। इसमें आपके चिकित्सा और वित्तीय मामलों को व्यवस्थित करना, तथा यह भी शामिल है कि आपको अपने स्थानांतरण के बारे में किसे बताना होगा।

4 अपने एज्ड केयर होम के साथ अनुबंध करें

कमरा स्वीकार करने के बाद और उसमें जाने से पहले, आपके वृद्ध देखभाल गृह को आपको एक सेवा अनुबंध प्रदान करना होगा।

आपके वहां जाने से पहले आपको घर के साथ एक आवास अनुबंध की भी पेशकश की जाएगी। इसे आपकी सेवा अनुबंध के भाग के रूप में शामिल किया जा सकता है या यह एक अलग दस्तावेज़ हो सकता है। देखभाल में प्रवेश करने से पहले आपको आवास समझौता करना होगा।

सेवा अनुबंध और आवास समझौता आपके और आपके एज्ड केयर होम के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज हैं।

वे निर्धारित करते हैं :

- उपलब्ध देखभाल और सेवाएँ
- आपको क्या शुल्क, अंशदान और आवास लागत का भुगतान करना होगा
- फीस, अंशदान और आवास लागत का भुगतान कैसे किया जा सकता है
- आपके अधिकार और जिम्मेदारियाँ।

इन समझौतों पर सहमत होने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप इनमें दी गई हर बात को समझ लें। यदि आपके कोई प्रश्न हों तो आपको अपने नए एज्ड केयर होम से पूछना चाहिए। यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है कि आपको दिए गए समझौते स्पष्ट हों।

हो सकता है कि प्रस्तावित समझौतों में वे सभी बातें शामिल न हों जो आपको महत्वपूर्ण लगती हैं, इसलिए सहमति देने से पहले जांच कर लेना अच्छा विचार है। आप यह भी पूछ सकते हैं:

- अतिरिक्त जानकारी के लिए अपने प्रदाता से, जैसे कि घर की भोजन और आगंतुक नीति, विविधता समावेशन योजना, और घर में रहने के बारे में अन्य विवरण
- आपके परिवार, मित्र, देखभालकर्ता, वित्तीय सलाहकार या कानूनी पेशेवर से अपने समझौतों की शर्तों को समझने में आपकी सहायता करने के लिए
- किसी अधिवक्ता से सहायता प्राप्त करने के लिए - ओल्डर पर्सन्स एडवोकेसी नेटवर्क (OPAN) को निःशुल्क **1800 700 600** पर कॉल करें।

अपने पसंदीदा प्रदाता के साथ समझौते पर बातचीत करने में सहायता के लिए पुस्तिका के पीछे दी गई चेकलिस्ट का उपयोग करें।

आपकी फीस, अंशदान और आवास लागत पर बातचीत करने में सहायता करें

आप किसी व्यक्ति से अपनी ओर से एज्ड केयर प्रदाता के साथ आपकी फीस, अंशदान और कमरे की सहमत कीमत के बारे में बातचीत करने के लिए कह सकते हैं।

आपको या आपकी सहायता करने वाले व्यक्ति को प्रवेश से पहले एज्ड केयर होम के साथ कमरे की कीमत, शुल्क और योगदान पर चर्चा करनी होगी और औपचारिक रूप से सहमति देनी होगी।

अनुबंधों पर हस्ताक्षर

सेवा अनुबंध

सेवा अनुबंध में आवासीय एज्ड केयर होम द्वारा आपको प्रदान की जाने वाली देखभाल और सेवाओं तथा लागू होने वाले शुल्क का विवरण होता है।

आवास समझौता

आपको वहां जाने से पहले आवास समझौता करना होगा। हालाँकि, प्रवेश के बाद ही आपको यह चुनने की आवश्यकता है कि आप अपने आवास की लागत का भुगतान कैसे करना चाहते हैं। देखभाल में प्रवेश करने के बाद आप किसी भी समय अपने आवास की लागत के लिए एकमुश्त राशि (पूरी या आंशिक रूप से) का भुगतान कर सकते हैं। जब तक आप एकमुश्त राशि का भुगतान करने का विकल्प नहीं चुनते, तब तक आपको अपने आवास का भुगतान किराये के रूप में करना होगा।

उच्चतर जीवनयापन समझौता

जब तक आप देखभाल में प्रवेश नहीं कर लेते, तब तक आपसे उच्चतर जीवन समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहा जा सकता। एक बार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद आपके पास अपना विचार बदलने के लिए 28 दिन का समय होता है। आपके अनुबंध में यह शामिल होना चाहिए कि आपको कौन-कौन सी वस्तुएं और सेवाएं मिलेंगी तथा उनकी लागत कितनी होगी।

आपके कानूनी अधिकार और जिम्मेदारियाँ

वृद्ध देखभाल अधिनियम के तहत, आपके अधिकार आपकी वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) का केन्द्र होते हैं। यदि आप वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको उम्मीद करनी चाहिए कि आपके अधिकारों को बनाए रखा जाएगा और आपकी इच्छाएं पूरी की जाएंगी, चाहे आप घर पर स्वतंत्र रूप से रह रहे हों या आवासीय देखभाल में रह रहे हों।

स्टेटमेंट ऑफ़ राइट्स (अधिकारों का बयान)

नए वृद्ध देखभाल अधिनियम (एज्ड केयर एक्ट) में स्टेटमेंट ऑफ़ राइट्स (अधिकारों का एक वक्तव्य) शामिल है।

स्टेटमेंट ऑफ़ राइट्स आपके अधिकारों को आपकी वृद्ध देखभाल के केंद्र में रखता है - ताकि आप यह निर्णय ले सकें कि आप कैसे और कहाँ रहेंगे, आपको आवश्यक जानकारी और सहायता मिले, आप अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर सकें और आपकी संस्कृति और पहचान का सम्मान किया जा सके। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि आपके परिवार और देखभालकर्ताओं सहित आपके आस-पास के लोग न केवल आपकी पसंदों को स्वीकार करते हैं बल्कि उनका सम्मान भी करते हैं।

आपको यह चुनने का भी अधिकार होगा कि आप इन निर्णयों को लेने में किससे सहायता चाहते हैं।

अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं: **MyAgedCare.gov.au/Know-Your-Rights**।

पंजीकृत सहयोगकर्ता

आपको अपने निर्णय लेने और इनके बारे में बात करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप चाहें तो जानकारी को समझने और अपनी इच्छाओं को बताने में सहायता के लिए आप सहयोगकर्ताओं को पंजीकृत कर सकते हैं।

नई पंजीकृत सहयोगकर्ता भूमिका मौजूदा My Aged Care प्रतिनिधि संबंधों का स्थान लेगी तथा यह पूरी वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) प्रणाली पर लागू होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके मौजूदा My Aged Care प्रतिनिधि पंजीकृत समर्थक के रूप में बने रहें तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।

अपने प्रतिनिधियों की जांच करने या उन्हें अपडेट करने या नाम वापस लेने के लिए, My Aged Care पर ऑनलाइन जाएँ या **1800 200 422** पर निःशुल्क कॉल करें।

और अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं: **MyAgedCare.gov.au/Registering-Supporter**।

साधन मूल्यांकन के लिए नामांकित व्यक्ति की व्यवस्था

आप किसी नामांकित व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकते हैं जो आपकी वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) से सम्बम्धित साधनों के मूल्यांकन (means assessment) के बारे में सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया या वेटरन्स अफेयर्स विभाग (DVA) से पूछताछ कर सकता है या आपकी ओर से कार्य कर सकता है।

इसके बाद आपका नामांकित व्यक्ति आपकी फीस, योगदान और आवास लागत से संबंधित जानकारी प्राप्त करने तथा आपकी ओर से सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया या DVA के साथ आपकी व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करने में सक्षम होगा।

सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया के लिए, 'किसी व्यक्ति या संगठन को आपकी ओर से पूछताछ करने या कार्य करने के लिए अधिकृत करना (SS313) फॉर्म' भरें: **ServicesAustralia.gov.au/ss313**।

DVA के लिए, 'DVA ग्राहकों के लिए नामांकित व्यक्ति के लिए वृद्ध देखभाल अनुरोध (AC019) फॉर्म' भरें: **ServicesAustralia.gov.au/ac019**।

अपनी वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) के बारे में शिकायत करना

यदि आपको या किसी अन्य को मिल रही देखभाल के बारे में आपको कोई चिंता है, तो इसके बारे में बात करना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, आपको अपने प्रदाता से बात करनी चाहिए। वृद्ध देखभाल अधिनियम (एज्ड केयर एक्ट) के तहत, सभी प्रदाताओं के लिए एक शिकायत प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया स्थापित करना आवश्यक है।

यदि आप अपने प्रदाता के समक्ष कोई समस्या उठाते हैं, तो उन्हें आपकी बात सुननी होगी तथा शीघ्रता एवं निष्पक्षता से जवाब देना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको सजा दिए जाने के डर के बिना वृद्ध देखभाल गुणवत्ता और सुरक्षा आयोग (एज्ड केयर क्वालिटी एंड सेफ्टी कमीशन) (आयोग) के समक्ष इस मुद्दे को उठाने का अधिकार है।

आयोग आपकी चिंता या शिकायत का समाधान करने में आपकी सहायता कर सकता है। वे आपको अपने सेवा प्रदाता से सीधे बात करने के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं।

चिंता व्यक्त करना सुरक्षित और आसान है। आप गोपनीय या गुमनाम शिकायत दर्ज करने का विकल्प चुन सकते हैं। शिकायत करना 'कठिनाई पैदा करना' नहीं होता है - इससे देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिल सकती है तथा समान समस्या से जूझ रहे अन्य लोगों को भी मदद मिल सकती है।

आप कई तरीकों से आयोग से संपर्क कर सकते हैं:

- वेबसाइट: **AgedCareQuality.gov.au/Complaints-Concerns**
- मुफ़्त कॉल: **1800 951 822**
- डाक: Aged Care Quality and Safety Commission
  GPO Box 9819
  [आपका राजधानी शहर] [आपका राज्य/टेरिटरी]

पक्षसमर्थन, सूचना और सहायता

ऑस्ट्रेलियाई सरकार वरिष्ठ निकायों और अन्य समूहों के साथ मिलकर काम करती है जो वृद्ध लोगों की आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व और वकालत करते हैं, उदाहरण के लिए, एज्ड केयर काउंसिल ऑफ एल्डर्स, काउंसिल ऑन द एजिंग (सीओटीए), नेशनल एज्ड केयर एडवाइजरी काउंसिल और ओल्डर पर्सन्स एडवोकेसी नेटवर्क (ओपीएएन)।

सरकार राष्ट्रीय वृद्ध देखभाल पक्षसमर्थन कार्यक्रम प्रदान करने के लिए OPAN को वित्त पोषित करती है। यह कार्यक्रम सरकार द्वारा वित्तपोषित वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) पाने का प्रयास करने वाले या इसे प्राप्त करने वाले वृद्ध लोगों, उनके परिवारों या समर्थकों को निःशुल्क, गोपनीय और स्वतंत्र जानकारी और सहायता प्रदान करता है।

OPAN के वृद्ध देखभाल पक्षसमर्थक निम्नलिखित में आपकी मदद कर सकते हैं:

- अपने वृद्ध देखभाल अधिकारों को समझने और उनका प्रयोग करने में
- अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वृद्ध देखभाल सेवाओं का पता लगाने में और
- अपने सरकारी वित्त पोषित वृद्ध देखभाल प्रदाता (एज्ड केयर प्रोवाइडर) के साथ समस्याओं को हल करने में।

यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो आप **एज्ड केयर एडवोकेसी लाइन** को **1800 700 600** पर कॉल करके वृद्ध देखभाल अधिवक्ता से बात कर सकते हैं। आपका संपर्क आपके राज्य या टेरिटरी में वृद्ध देखभाल पक्षसमर्थन संगठन से स्थापित किया जाएगा।

OPAN.org.au पर जाएं।

निःशुल्क कॉल: **1800 700 600**

आपकी देखभाल आवश्यकताओं का मूल्यांकन

जब आप एज्ड केयर होम में चले जाएंगे, तो आपका प्रदाता एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता के साथ आपकी देखभाल आवश्यकताओं का मूल्यांकन कराने की व्यवस्था करेगा। आपके मूल्यांकन के दौरान, निष्पक्ष मूल्यांकनकर्ता आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा कि आप स्वयं क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं।

यह आपके ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय वृद्ध देखभाल वर्गीकरण (एएन-एसीसी) (Aged Care Classification (AN-ACC)) को निर्धारित करने में सहायता करेगा। आपका वर्गीकरण यह तय करता है कि आपके देखभाल संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए प्रदाता को सरकार से कितनी सब्सिडी मिलेगी।

यदि आपकी देखभाल की आवश्यकताएं बदलती हैं, तो आप या आपका प्रदाता पुनर्मूल्यांकन का अनुरोध कर सकते हैं।

सहायता और देखभाल

सभी वृद्ध देखभाल गृहों में सप्ताह के प्रत्येक दिन, 24 घंटे, हर समय कम से कम एक पंजीकृत नर्स मौजूद होनी चाहिए (छूट लागू हो सकती है)। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपको देखभाल प्रदान करने और आपात स्थितियों से निपटने के लिए पंजीकृत नर्स तक पहुंच प्राप्त होगी।

इसके अतिरिक्त, आपके एज्ड केयर होम को वहां रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए देखभाल का औसत समय उपलब्ध कराना होगा। इसे देखभाल मिनट (care minutes) जिम्मेदारी कहा जाता है और इसे पंजीकृत नर्सों, नामांकित नर्सों, व्यक्तिगत देखभाल कार्यकर्ताओं और नर्सिंग सहायकों द्वारा पूरा किया जाता है। देखभाल के मिनटों को एज्ड केयर होम की स्टार रेटिंग में गिना जाता है।

औसतन, सभी वृद्ध देखभाल गृहों में लोगों को प्रतिदिन 215 मिनट की देखभाल मिलेगी, जिसमें पंजीकृत नर्स द्वारा कम से कम 44 मिनट की देखभाल शामिल होगी। एक एज्ड केयर होम को अपने सभी निवासियों के औसत के रूप में 'देखभाल मिनट लक्ष्य' को पूरा करना आवश्यक है। इसलिए, कुछ लोगों को अधिक देखभाल समय मिल सकता है तथा अन्य को कम, जो दैनिक आधार पर उनकी व्यक्तिगत और नैदानिक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

यह देखभाल का सारा समय आमने-सामने बैठकर नहीं दिया जाएगा। देखभाल मिनटों में देखभाल योजनाएं विकसित करना, परिवार के सदस्यों के साथ संपर्क करना और अन्य स्वास्थ्य चिकित्सकों के साथ नियुक्तियों की व्यवस्था करना जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं।

केयर मिनट्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए, यहां जाएं: **Health.gov.au/Resources/Publications/Care-Minutes-In-Aged-Care-Homes**।

अपने डॉक्टर, दंतचिकित्सक या विशेषज्ञ के पास जाना

आपका अपना स्वयं का डॉक्टर, दंतचिकित्सक या विशेषज्ञ हो सकता है। यदि आवश्यक हो तो आपके एज्ड केयर होम को आपको अपॉइंटमेंट लेने और अपनी पसंद के डॉक्टरों या विशेषज्ञों तक पहुंचने में मदद करनी चाहिए। इन अपॉइंटमेंट की व्यवस्था के लिए आपको घर को भुगतान नहीं करना पड़ता है। हालाँकि, आपको आमतौर पर परामर्श शुल्क का भुगतान करना होगा।

आपका एज्ड केयर होम आपकी चिकित्सा अपॉइंटमेंट के लिए आने-जाने हेतु परिवहन की व्यवस्था करने में भी आपकी सहायता कर सकता है। आपको परिवहन तथा अपने साथ आने वाले स्टाफ के सदस्य के लिए भुगतान करना पड़ सकता है।

संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच

यदि आपको आवश्यकता हो तो आपके वृद्ध देखभाल गृह को आपको फिजियोथेरेपी, पोडियाट्री और स्पीच थेरेपी जैसी संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने में मदद करनी होगी। यह एक विशेष थेरेपी कार्यक्रम के माध्यम से हो सकता है जो आपकी क्षमता को बहाल करने या दैनिक कार्यों और चीजों को आत्मनिर्भर रूप से जारी रखने में आपकी मदद करेगा। इसका विकास और भुगतान एज्ड केयर होम द्वारा किया जाता है।

यदि आपको अलग से संबद्ध स्वास्थ्य अपॉइंटमेंट की आवश्यकता है जो आपके चिकित्सा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं, तो आपको इनके लिए भुगतान करना पड़ सकता है।

आपको अपनी आवश्यकताओं के बारे में अपने एज्ड केयर होम से चर्चा करनी चाहिए।

सामाजिक गतिविधियां

आपका एज्ड केयर होम सामाजिक एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन करेगा। उन्हें अपने शौक और रुचियों के बारे में बताएं ताकि जब आप घर पर हों तो वे उन्हें जारी रखने में आपकी मदद कर सकें। वे आपको प्रयास करने के लिए अन्य चीजें भी सुझा सकते हैं।

सामुदायिक आगंतुक

यदि आप अकेलापन या सामाजिक रूप से अलग-थलग महसूस करते हैं, तो आप वृद्ध देखभाल स्वयंसेवी आगंतुक योजना (Aged Care Volunteer Visitors Scheme) (ACVVS) के माध्यम से स्वयंसेवक आगंतुक का अनुरोध कर सकते हैं। यह मुलाकात उन सभी लोगों के लिए उपलब्ध है जो सरकारी सब्सिडी वाली आवासीय एज्ड केयर या सपोर्ट ऐट होम प्राप्त करते हैं, जिनमें अनुमोदित देखभाल प्राप्तकर्ता या राष्ट्रीय प्राथमिकता प्रणाली शामिल हैं।

अधिक जानकारी के लिए **Health.gov.au/ACVVS** पर जाएं।

छुट्टी पर जा रहे हैं

यदि आप छुट्टियों पर जाना चाहते हैं या परिवार या मित्रों से मिलना चाहते हैं, तो आप एक वित्तीय वर्ष में अपने एज्ड केयर होम से 52 रातों तक की सामाजिक छुट्टी का उपयोग कर सकते हैं। आपको तब भी अपनी सामान्य फीस, अंशदान और आवास लागत का भुगतान करना होगा।

यदि आप एक वित्तीय वर्ष में 52 रातों से अधिक समय तक घर से बाहर रहते हैं, तो सरकार सब्सिडी देना बंद कर देगी और एज्ड केयर होम आपसे पूरी राशि मांग सकता है।

अस्पताल में रहना

यदि आपको अस्पताल जाना पड़ता है, तो वह समय आपकी सामाजिक छुट्टी में नहीं गिना जाएगा, लेकिन फिर भी आपको अपनी सामान्य फीस, अंशदान और आवास लागत का भुगतान करना होगा। अस्पताल में लंबे समय तक रहने पर फीस और अंशदान कम हो सकता है।

कमरे बदलना

यदि आप अपने एज्ड केयर होम से संतुष्ट हैं, लेकिन कमरा बदलना चाहते हैं, तो आप अपने गृह के प्रबंधक से पूछ सकते हैं। उन्हें आपके अनुरोध पर विचार करना ही होगा, भले ही आपको तुरंत दूसरा कमरा उपलब्ध कराना संभव न हो।

यदि आप कमरा बदलते हैं तो आपको अपने आवास समझौते में बदलाव करना पड़ सकता है तथा नए आवास मूल्य पर बातचीत करनी पड़ सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप साझा कमरे से सिंगल कमरे में जाना चुनते हैं।

ऐसी परिस्थितियां होती हैं, जहां आपसे बदलने के लिए पैसे मांगे बिना ही आपको दूसरे कमरे में स्थानांतरित कर दिया जा सकता है। यदि आपको कमरा बदलने के लिए कहे जाने या आपके स्थानांतरण को किस प्रकार संभाला जा रहा है, इस बारे में कोई चिंता है, तो अपने एज्ड केयर होम के प्रबंधक से बात करें।

अधिक सहायता

अनुवाद और दुभाषिया सहायता

अनुवाद और दुभाषिया सेवाओं के लिए इस पर कॉल करें:

अनुवाद और दुभाषिया सेवा (टीआईएस नेशनल) - **131 450**, ऑपरेटर को वह भाषा बताएँ जो आप बोलते हैं और उन्हें My Aged Care को **1800 200 422** पर कॉल करने के लिए कहें।

एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी व्याख्या सेवाओं के लिए, कॉल करें:

My Aged Care – **1800 200 422** पर कॉल करें और दुभाषिया के लिए कहें।

उपलब्ध भाषाओं की सूची देखें: **MyAgedCare.gov.au/Accessible-All**।

सांकेतिक भाषा इंटरप्रेटिंग सेवाओं के लिए कॉल करें:

डेफ कनेक्ट – **1300 773 803** या ईमेल **Interpreting@DeafConnect.org.au।**

काफी समय पहले संपर्क करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दुभाषिया उपलब्ध है।

और अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं: **DeafConnect.org.au**।

यदि आप बधिर हैं, सुनने में कठिनाई है, या बोलने या संचार करने में समस्या है, तो इस पर कॉल करें:

NRS वेबसाइट पर अपना पसंदीदा कॉल चैनल चुनकर राष्ट्रीय रिले सेवा (NRS) को। एक बार चयन हो जाने पर, एनआरएस से **1800 200 422** पर My Aged Care को कॉल करने के लिए कहें।

और अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं: **AccessHub.gov.au/About-The-NRS**।

डिमेंशिया (मनोभ्रंश) संबंधी सहायता

ऑस्ट्रेलियाई सरकार सभी वृद्ध देखभाल प्रदाताओं से अपेक्षा करती है कि वे डिमेंशिया से पीड़ित लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सेवाएं प्रदान करें।

- **राष्ट्रीय डिमेंशिया सहायता कार्यक्रम** (NDSP) डिमेंशिया से पीड़ित लोगों, उनके परिवारों, देखभालकर्ताओं और प्रतिनिधियों के लिएकई तरह की सहायता सेवाएं प्रदान करता है। सेवाएं पूरे ऑस्ट्रेलिया में फोन, ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध हैं, और इनमें सूचना, शिक्षा, परामर्श, सहायता गतिविधियां, सहकर्मी मार्गदर्शन और सलाह शामिल हैं।

  डिमेंशिया ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय डिमेंशिया हेल्पलाइन से संपर्क करें - निःशुल्क कॉल **1800 100 500**, दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन।

  और अधिक जानकारी के लिए **Health.gov.au/NDSP** पर जाएं।

- **डिमेंशिया व्यवहार प्रबंधन सलाहकारी सेवा** (DBMAS) ऐसे लोगों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करती है, जब डिमेंशिया के व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक लक्षण किसी व्यक्ति की देखभाल या जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। प्रशिक्षित परामर्शदाता सेवा प्रदाताओं और डिमेंशिया के साथ जीवन जीने वाले लोगों की देखरेख करने वाले व्यक्तियों की सहायता करने के लिए किसी भी स्थान या परिसर में काम करते हैं।

  डिमेंशिया सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया से संपर्क करें - निःशुल्क कॉल **1800 699 799**, दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन।

  DBMAS पर और अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर जाएँ: **Health.gov.au/DBMAS**।

  डिमेंशिया संबंधी सहायता पर और अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं: **MyAgedCare.gov.au/Living-Memory-Loss-Dementia-Or-Depression**।

बेघर होना या फ़ालतू जमा करने के व्यवहार में सहायता

निम्नलिखित लोगों के लिए सहायता उपलब्ध है:

- जो जमाखोरी वाले व्यवहार के साथ जीवन जी रहे हैं
- जो गंदे वातावरण में रह रहे हैं
- जिन्हें बेघर होने का जोखिम है
- जो अपने लिए आवश्यक वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) सहायताएँ पाने में असमर्थ हैं।

सहायताओं में शामिल हैं:

- देखभाल योजना
- विशेषज्ञ सहायता सेवाओं के लिंक
- एक बार की साफ-सफाई।

यदि आपको केयर फाइंडर कार्यक्रम के माध्यम से इसलिए मदद मिल रही है क्योंकि आप बेघर हैं या आपको बेघर होने का जोखिम है तो आप राष्ट्रमंडल गृह सहायता कार्यक्रम (कामनवेल्थ होम सपोर्ट प्रोग्राम) की सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी पात्र हो सकते हैं।

My Aged Care - **1800 200 422** पर निःशुल्क कॉल करके से संपर्क करें या सहायता के लिए सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया के सर्विस सेंटर पर जाएं।

विविध आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए सहायता

ऑस्ट्रेलियाई सरकार यह मानती है कि हमारा समाज विविधतापूर्ण है और लोगों के जीवन के अनुभव व्यापक हैं।

विविध आवश्यकताओं वाले लोगों को उनके लिए आवश्यक सहायता प्राप्त करने में मदद देने के लिए कई कार्यक्रम और सेवाएं उपलब्ध हैं। आपके क्षेत्र में ऐसी विशेष सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं जो विशिष्ट रूप से विशेष आवश्यकताओं वाले समूहों को सेवाएं प्रदान करती हैं। आप My Aged Care के माध्यम से या अपने वृद्ध देखभाल आकलनकर्ता (एज्ड केयर अस्सेसर) से पूछकर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सेवा प्रदाताओं को देखभाल और सेवाएं प्रदान करते समय विशिष्ट और विविध आवश्यकताओं पर विचार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनमें सहयोग करना चाहिए। किसी भी सेवा प्रदाता को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, जिसमें शामिल हैं:

- एबोरिजनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोग, जिनमें स्टोलन जेनरेशन के सर्वाइवर (उत्तरजीवी) शामिल हैं
- भूतपूर्व सैनिक या शहीद सैनिकों की विधवाएँ
- सांस्कृतिक, जातीय और भाषाई रूप से विविध पृष्ठभूमि वाले लोग
- आर्थिक या सामाजिक रूप से वंचित लोग
- बेघर लोग या जिन्हें बेघर होने का खतरा हो
- माता-पिता और बच्चे जो जबरन गोद लिए जाने या छीन लिए जाने के कारण एक-दूसरे से अलग हो गए हों
- संस्थागत बाल यौन शोषण के वयस्क उत्तरजीवी
- देखभाल छोड़कर वापस स्वतंत्र रूप से रहना शुरू करने वाले (केयर लीवर्स) हैं, जिनमें फॉरगोटन ऑस्ट्रेलियाई और भूतपूर्व बाल प्रवासी शामिल हैं, जिन्हें घर से बाहर देखभाल में रखा गया था
- लेस्बियन (समलैंगिक महिलाएँ), गे (समलैंगिक पुरूष), बाइसैक्सुअल (उभयलिंगी), ट्रांस/ट्रांसजेंडर या इंटरसेक्स या अन्य यौन अभिविन्यास या लिंग विविध या शारीरिक विविधता वाले
- विकलांग या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति
- न्यूरोडायवर्जेंट लोग
- बहरे, बधिर-अंधे, नज़र या सुनने की किसी समस्या से ग्रस्त लोग
- ग्रामीण, सुदूर या बहुत सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग।

एल्डर केयर स्पोर्ट सहायता

एल्डर केयर स्पोर्ट कार्यबल वृद्ध एबोरिजनल और टोरेस स्ट्रेट द्वीप वासी लोगों, उनके परिवारों और देखभालकर्ताओं को उनकी शारीरिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) सेवाएं प्राप्त करने में मदद करता है। राष्ट्रीय एबोरिजनल समुदाय नियंत्रित स्वास्थ्य संगठन देश भर में अपने साझेदार संगठनों के माध्यम से यह कार्यक्रम प्रदान करता है।

और अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं: **MyAgedCare.gov.au/Elder-Care-Support-Program**।

देखभाल खोजकर्ता (care finder) से सहायता

देखभाल खोजकर्ता (care finder) उन वृद्ध लोगों की सहायता करते हैं, जिन्हें समुदाय में वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) सेवाओं और अन्य सहायताओं को पाने के लिए गहन सहायता की आवश्यकता होती है। यह उन अतिसंवेदनशील लोगों के लिए एक निःशुल्क सेवा है, जिनके पास सहायता देने के लिए कोई नहीं है। इसमें वे लोग शामिल हैं:

- जिन्हें संज्ञानात्मक या साक्षरता संबंधी समस्याओं के कारण बातचीत करने में कठिनाई होती है
- जिन्हें जानकारी को समझना कठिन लगता है
- जो वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) या सरकार के साथ जुड़ने में अनिच्छुक हैं
- या यदि उन्हें सेवाएं नहीं मिलती हैं तो वे असुरक्षित स्थिति में होते हैं।

अपने क्षेत्र में देखभाल खोजकर्ताओं की सूची देखने के लिए My Aged Care वेबसाइट पर जाएं। और अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं: **MyAgedCare.gov.au/Help-Care-Finder**।

फेडरेशन ऑफ एथनिक कम्युनिटीज काउंसिल्स ऑस्ट्रेलिया

फेडरेशन ऑफ एथनिक कम्युनिटीज काउंसिल्स ऑस्ट्रेलिया (FECCA) एक नेशनल पीक बॉडी (राष्ट्रीय शिखर निकाय) है जो सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध पृष्ठभूमि वाले ऑस्ट्रेलियाई लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। FECCA यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है कि सांस्कृतिक या भाषाई बाधाओं के कारण कोई भी पीछे न छूट जाए।

और अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं: **FECCA.org.au**।

सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त देखभाल में भागीदार
(Partners in Culturally Appropriate Care, PICAC)

PICAC राज्य और टेरिटरी संगठन हैं जो सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध वृद्ध लोगों और उनके परिवारों को उनकी वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) आवश्यकताओं के बारे में सोचे-समझे निर्णय लेने में मदद करते हैं।

और अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं: **PICACAlliance.org**।

वृद्ध लोगों के प्रति दुर्व्यवहार और बुरे बर्ताव को समाप्त करना

वृद्ध लोगों के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार कभी भी ठीक नहीं होता है। दुर्व्यवहार शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक, वित्तीय या उपेक्षापूर्ण हो सकता है। इससे नुकसान, परेशानी तथा सम्मान एवं प्रतिष्ठा की हानि होती है। वृद्ध लोगों के साथ दुर्व्यवहार और बुरा बर्ताव मानव अधिकारों का उल्लंघन है।

यदि आप दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दुर्व्यवहार का सामना कर रहा हो सकता है, तो सहायता और समर्थन उपलब्ध है।

जानकारी या सलाह के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हों:

- निःशुल्क कॉल 1800ELDERHelp या **1800 353 374**।
- और अधिक जानकारी के लिए **Compass.info** पर जाएं।
- आपातकालीन स्थिति में **000** पर कॉल करें।

देखभालकर्ताओं के लिए सहायता

केयरर गेटवे (Carer Gateway) आपके देखभालकर्ता को उनकी देखरेख करने की भूमिका में मदद करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत, फोन और ऑनलाइन सेवाएं और सहायता प्रदान करता है।

- सप्ताह के दिनों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच **1800 422 737** पर निःशुल्क कॉल करें, तथा स्थानीय केयरर गेटवे सेवा प्रदाता से बात करने के लिए विकल्प 1 चुनें।
- जानकारी, सलाह और संसाधनों के लिए **CarerGateway.gov.au** वेबसाइट पर जाएँ।
- और अधिक संसाधनों, सेवाओं और सहायता समूहों के लिए My Aged Care की वेबसाइट **MyAgedCare.gov.au/For-Carers** पर जाएं।

लागत का पता लगाएं और एज्ड केयर होम खोजें

अपनी फीस, अंशदान और आवास लागत का पता लगाने तथा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रदाता ढूंढने में सहायता के लिए इस चेकलिस्ट का उपयोग करें।

आपके मूल्यांकन के बाद

☐ अपने एज्ड केयर आकलनकर्ता से अनुमोदन पत्र और सहायता योजना प्राप्त करें।

अनुमानित लागत

☐ My Aged Care वेबसाइट पर वृद्ध देखभाल गृहों के लिए शुल्क अनुमानक का उपयोग करके अपनी फीस, योगदान और आवास लागत का अनुमान लगाएं: **MyAgedCare.gov.au/Aged-Care-Home-Fee-Estimator**।

वित्तीय मूल्यांकन की व्यवस्था पहले ही कर लें

☐ यदि आपको साधनों का मूल्यांकन पूरा करना हो, तो इसकी पुष्टि Services Australia वेबसाइट पर जाकर करें: **ServicesAustralia.gov.au/How-To-Apply-For-Aged-Care-Calculation-Your-Cost-Care**।

- यदि आपको Services Australia या DVA से साधन परीक्षणित भुगतान प्राप्त होता है और आपके पास अपना घर नहीं है, तो आपको साधनों का मूल्यांकन पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।
- यदि आपको एज्ड केयर होम में प्रवेश करने से पहले प्रवेश-पूर्व (pre-entry) मूल्यांकन पत्र की आवश्यकता है, तो आप Services Australia को निःशुल्क कॉल **1800 227 475** या DVA को निःशुल्क कॉल **1800 838 372** पर कॉल करके अनुरोध कर सकते हैं।
- यदि आप NATSIFAC प्रदाता से सेवाएं लेने जा रहे हैं, तो आपको साधन परीक्षण के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

☐ यदि आपकी वित्तीय स्थिति में कोई परिवर्तन होता है तो Services Australia या DVA को बताएं और वे आपका प्रवेश-पूर्व मूल्यांकन पत्र पुनः जारी कर देंगे।

उन वृद्ध देखभाल गृहों की सूची बनाएं जिनमें आपकी रुचि है

- ☐ My Aged Care वेबसाइट **MyAgedCare.gov.au/Find-A-Provider** पर ' प्रदाता खोजें' ('Find a provider') टूल का उपयोग करें।
- ☐ अपने क्षेत्र में वृद्ध देखभाल गृहों को खोजने के लिए **1800 200 422** पर My Aged Care को निःशुल्क कॉल करें।
- ☐ यदि आपके क्षेत्र में कोई चयनित Services Australia सेवा केंद्र है, तो वहां के एज्ड केयर विशेषज्ञ अधिकारी से मिलें, या वीडियो चैट का उपयोग करें। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए **1800 227 475** पर निःशुल्क कॉल करें।
- ☐ अपनी फीस, अंशदान और आवास लागत का अनुमान लगाने के लिए My Aged Care वेबसाइट पर शुल्क अनुमानक का उपयोग करें।

अपने पसंदीदा वृद्ध देखभाल गृहों से संपर्क करें/वहां जाएं

- ☐ अपने एज्ड केयर आकलनकर्ता से अपना अनुमोदन पत्र लें।
- ☐ Services Australia से अपना प्रवेश-पूर्व मूल्यांकन पत्र प्राप्त करें।
- ☐ नोट: यदि आपने अभी तक साधनों के मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं की है, तो Services Australia वेबसाइट पर जाकर पुष्टि करें कि आपको इसकी व्यवस्था करनी चाहिए या नहीं: **ServicesAustralia.gov.au/How-To-Apply-For-Aged-Care-Calculation-Your-Cost-Care** या Services Australia से निःशुल्क कॉल **1800 227 475** या DVA से निःशुल्क कॉल **1800 838 372** पर संपर्क करें।
- ☐ आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या प्रश्न पूछने हैं, इसकी सूची बनाएं।
- ☐ आप जिस भी घर में जाएं, उसके बारे में नोट बना लें, जैसे कि आपको क्या पसंद है/क्या पसंद नहीं है, तथा स्टाफ, निवासियों और वातावरण के बारे में आपकी क्या राय है।
- ☐ फीस, अंशदान और आवास लागत के बारे में पूछें।
- ☐ पूछें कि क्या वे अधिक जीवन-यापन शुल्क पर अतिरिक्त वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते हैं तथा उनकी लागत के बारे में पूछें।
- ☐ एज्ड केयर होम के आवेदन पत्र का उपयोग करके अपने पसंदीदा घर/घरों में कमरे के लिए आवेदन करें।

साधनों का मूल्यांकन प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए सहायता

- आप किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं, जब आप Services Australia या DVA के साथ वित्तीय मूल्यांकन की प्रक्रिया में हों तो वह आपकी ओर से कार्य कर सकता है निर्णय लेने में सहायता कर सकता है।
- यदि आपको पहले से ही Services Australia या DVA से साधन-परीक्षणित भुगतान प्राप्त हो रहा है, तो हो सकता है कि आपकी सहायता के लिए पहले से ही किसी को नियुक्त किया गया हो। अपने विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी यहां प्राप्त करें:
    - Services Australia: **ServicesAustralia.gov.au/Centrelink-Or-Aged-Care-Representative-To-Act-For-You**।
    - DVA: **DVA.gov.au/Get-Support/Advocacy-Representation-Advice/What-Representative**।
- ये व्यवस्थाएं केवल Services Australia और DVA के साथ बातचीत पर लागू होती हैं। यदि आप सहायता चाहते हैं या आपको सहायता की आवश्यकता है, तो आप वृद्ध देखभाल के बारे में अपने निर्णय लेने और उस बारे में बात करने में सहायता के लिए किसी व्यक्ति को चुन सकते हैं। इसमें My Aged Care और एज्ड केयर प्रदाताओं के साथ बातचीत शामिल है। ये लोग आपके पंजीकृत सहयोगी हो सकते हैं। आपके पंजीकृत सहयोगकर्ता/समर्थक, Services Australia या DVA के आपके प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों के समान हो सकते हैं, या वे भिन्न भी हो सकते हैं।
- यदि आप साधनों का मूल्यांकन पूरा नहीं करना चाहते हैं, तो इसके बजाय 'किसी व्यक्ति या संगठन को आपकी ओर से पूछताछ या कार्य करने के लिए अधिकृत करना ('Authorising a person or organisation to enquire or act on your behalf (SS313) form') (SS313) फॉर्म' भरें: **ServicesAustralia.gov.au/ss313**।
- DVA ग्राहकों को DVA ग्राहकों के लिए नामिती हेतु वृद्ध देखभाल अनुरोध (ए.सी.019) फॉर्म' (Aged Care Request for a nominee for DVA customers (AC019) form) का उपयोग करना होगा: **ServicesAustralia.gov.au/ac019**।
- आपको अपनी फीस और आवास लागत का भुगतान करने का निर्णय लेने से पहले स्वतंत्र वित्तीय सलाह ले लेनी चाहिए। आप ServicesAustralia की निःशुल्क वित्तीय सूचना सेवा से **132 300** पर संपर्क कर सकते हैं और वित्तीय सूचना सेवा के लिए कह सकते हैं।

अनुबंध में शामिल हों

जाँच करें कि आपके सेवा अनुबंध में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ☐ आपके एज्ड केयर होम का नाम
- ☐ घर द्वारा प्रदान की जाने वाली देखभाल और सेवाएँ
- ☐ आपकी फीस, अंशदान और आवास लागत निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियां और आचरण
- ☐ दैनिक शुल्क जिसे आपको भुगतान करने के लिए कहा जाएगा और परीक्षणित देखभाल शुल्क, होटलिंग योगदान और गैर-नैदानिक देखभाल योगदान यदि लागू होता हो
- ☐ निवासियों और एज्ड केयर होम के अधिकार और जिम्मेदारियाँ
- ☐ एज्ड केयर होम शिकायतों का निपटारा कैसे करता है
- ☐ ऐसी कोई भी परिस्थिति जिसमें आपको घर छोड़ने के लिए कहा जा सकता है और एज्ड केयर होमआपको रहने के लिए कोई अन्य स्थान ढूंढने में कैसे मदद करेगा
- ☐ आपके और एज्ड केयर होम के बीच सहमत हुए कोई अन्य मामले।

जाँच लें कि आपके आवास अनुबंध में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ☐ कमरे की स्वीकृत कीमत
- ☐ आपके आवास भुगतान या अंशदान की अन्य शर्तें, जिसमें DAP अनुक्रमण लागू होना भी शामिल है
- ☐ यदि आप वह जगह छोड़ देते हैं या आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी एकमुश्त राशि वापस करने की परिस्थितियाँ, जिसमें एकमुश्त राशि पर लागू होने वाली कोई भी कटौती शामिल है
- ☐ आपको जो विशिष्ट आवास उपलब्ध कराया जाएगा
- ☐ आपके आवास लागत में शामिल कोई भी सेवा
- ☐ कमरे बदलने की शर्तें.

जाँच लें कि आपके उच्च जीवन अनुबंध (यदि लागू होता हो) में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ☐ आपको प्रदान की जाने वाली प्रत्येक विशिष्ट सेवा का विवरण
- ☐ आपके प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का उच्चतर मानक
- ☐ रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ज़्यादा शुल्क और उन्हें कितनी बार वसूला जाएगा
- ☐ समझौते की वार्षिक समीक्षा का प्रावधान।

स्थानांतरण की तैयारी करें

एक बार जब आप एज्ड केयर होम में कमरा स्वीकार कर लें, तो सभी को सूचित करने के लिए इस चेकलिस्ट का उपयोग करें।

आपका सहायता नेटवर्क:

- ☐ आपके परिवार और मित्र, देखभालकर्ता/देखभालकर्ता और पड़ोसी।

स्वास्थ्य पेशेवर:

- ☐ आपका डॉक्टर/जीपी
  - यदि आपको डॉक्टर बदलने की आवश्यकता हो, तो अपने मेडिकल इतिहास को अपने नए डॉक्टर को भेजने के लिए कहें
  - अपने एज्ड केयर होम में चर्चा करने के लिए उपचार और दवाइयों के बारे में नोट बना लें
- ☐ अन्य स्वास्थ्य पेशेवर जिनसे आप नियमित रूप से मिलते हैं जैसे विशेषज्ञ और दंत चिकित्सक
- ☐ आपकी सामुदायिक नर्स और आपका फार्मासिस्ट।

घरेलू सहायता:

- ☐ आपका माली या लॉन की घास काटने वाला व्यक्ति
- ☐ आपका क्लीनर या घरेलू सहायक
- ☐ मील्स ऑन व्हील्स और अन्य सहायता सेवाएँ
- ☐ आपके घर की देखभाल (होम केयर) पैकेज प्रदाता।

सरकारी विभाग और एजेंसियाँ:

- ☐ डिपार्टमेंट ऑफ़ वेटेरन अफेयर्स – निःशुल्क कॉल **1800 838 372**
- ☐ Services Australia – निःशुल्क कॉल **1800 227 475**
- ☐ ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस – **132 861**
- ☐ मेडिकेयर – **132 011**
- ☐ ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग (ऑस्ट्रेलियन इलेक्टोरल कमीशन) का आपका स्थानीय कार्यालय
- ☐ आपके स्थानीय सड़क और परिवहन प्राधिकरण - आपके ड्राइवर लाइसेंस के लिए
- ☐ अपने स्थानीय डाकघर और परिषद से संपर्क करें।

वित्त एवं बीमा:

- ☐ आपका स्वास्थ्य बीमा प्रदाता, सुपरएनुएशन, बैंक, बिल्डिंग सोसायटी या क्रेडिट यूनियन।

अन्य:

- ☐ टेलीफोन, इंटरनेट, गैस, बिजली और पानी जैसी सुविधाएँ
- ☐ यदि आप अब वहां नहीं जाना चाहते हैं, जहां आपने आवेदन किया है, तो आप अन्य वृद्ध देखभाल गृहों में भी जा सकते हैं ; यद्यपि यदि आप अभी भी इच्छुक हैं, तो आप अपना आवेदन खुला रखना चुन सकते हैं।

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

MyAgedCare.gov.au
1800 200 422

DT0004860-1025

इस प्रकाशन में सभी जानकारी 1 नवंबर 2025 से सही है।